

JOINT COMMITTEE REPORT

ON

**Hon'ble NGT order dated 28.04.2023 in
OA No.31/2023 (CZ) in the matter of
Dharmendra Singh Gond Vs State of Madhya Pradesh & Ors.**

Date of Inspection :23/05/2023

By

Joint Committee members

- 1. Mr. Sunil Kumar Meena, Scientist 'D' CPCB, Bhopal (M.P).(Representative of Regional Directorate, CPCB, Bhopal)**
- 2. Mr. SanjeevKumar Mehra, RO, MPPCB, Regional Office, Shahdol, (M.P).(Representative of MPPCB and Nodal officer)**

List of Annexure

Annexure No.	Details of Document	Page No.
Annexure – 1	Copy of Hon'ble NGT order.	18-19
Annexure – 2	Copy of nomination letter of committee member.	20
Annexure – 3	Intimation letter to petitioner to be present during joint visit	21
Annexure – 4	Copy of attendance sheet of committee member.	22
Annexure – 5	Photograph of joint inspection team at inspection site.	23-31
Annexure – 6	Copy of LoA of MPRDCL, Bhopal office has issued on dated 19.09.2022 to M/s Gawar Construction, Gurgaon.	32-33
Annexure – 7	Copy of sub contract agreement M/s Gawar Construction with M/s SCONS Infrastructure Pvt. Ltd., New Delhi.	34
Annexure – 8	NOC of Gram Panchayat Bhamraha-2 as per MoM of Gram sabha dated 02.10.2022.	35
Annexure – 9	In Principle Permission from Collector Office (Mining Section), Shahdol vide order dated 06.01.2023	36-37
Annexure – 10	Collector Office (Mining Section), Shahdol letter no. 15 dated 09.01.2023	38
Annexure – 11	Approved mining plan from Govt. of M.P Directorate of Geology and Mining Regional Office, Rewa.	39-43
Annexure – 12	EC from SEIAA, Bhopal vide ID No. EC23B001MP140093 dated 06.04.2023	44-53
Annexure – 13	Consent to establishment issued for mining activities in light of EC issued by SEIAA.	54-58
Annexure – 14	Consent to establishment issued for crushing activities in light of EC issued to captive mine by	59-63

	SEIAA.	
Annexure - 15	Collector Office (Mining Section), Shahdol letter no. 65 dated 27.01.2023 to Member Secretary, SEIAA, Bhopal	64
Annexure - 16	Copy of khasra and agreement	65-74
Annexure - 17	Power Grid corporation of India Ltd. Rewa Office vide its letter no. 3374 dated 28.12.2022 to Collector office (Mining Section), Shahdol	75
Annexure - 18	Copy of letter issued by MPPCB, Shahdol on dated 27.04.2023 to M/s SCONS Infrastructure Pvt. Ltd. for obtaining consent.	76-77
Annexure - 19	Copy of Closure Notice issued by MPPCB, Shahdol to M/s SCONS Infrastructure Pvt. Ltd. U/s 31 'A' of Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 on dated 01.05.2023	78-81
Annexure - 20	Copy of Closure Order issued by MPPCB, Shahdol to M/s SCONS Infrastructure Pvt. Ltd. U/s 31 'A' of Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 on dated 18.05.2023	82-85
Annexure - 21	Proposal of environmental compensation against M/s SCONS Infrastructure Pvt. Ltd. submitted to Head Office, Bhopal by MPPCB, Shahdol vide letter no. 469 dated 19.05.2023	86-88
Annexure - 22	Letter is issued as reminder to mining office, Shahdol by RO, MPPCB, Shahdol office	89-90

Factual Report of the Joint Committee constituted by Hon'ble NGT order dated 28.04.2023 in OA No.31/2023 (CZ) in the matter of Dharmendra Singh Gond Vs State of Madhya Pradesh & Ors.

Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal was pleased to pass an order on 28.04.2023 in the original application no. 31/2023 in the matter of Dharmendra Singh Gond Vs State of Madhya Pradesh & Ors. The directions of the order are as follows:

"Issue raised in this application is illegal mining and blasting without any permission from the Competent Authority by Respondent no.4. A substantial issue of environment has been raised."

We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:- i. One representative from Central Pollution Control Board, (M.P.). ii. One representative from State Pollution Control Board. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support. The report in the matter be filed by the Committee through email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

Copy of the order is enclosed at Annexure 1.

In compliance of the Hon'ble NGT order, the following committee members have been nominated for conducting the field visit and submitting the factual report by the departments concerned:

- 1. Mr. Sunil Kumar Meena, Scientist 'D' CPCB, Bhopal (M.P.).(Representative of Regional Directorate, CPCB, Bhopal)**
- 2. Mr. Sanjeev Kumar Mehra, RO, MPPCB, Regional Office, Shahdol, MP.(Representative of MPPCB and Nodal Officer)**

Copy of the nomination letter is enclosed at Annexure 2.

Applicant was informed to present during time of visit by verbal conversation through mobile phone. Written intimation letter no. 462 dated 19.05.2023 is also sent to applicant by speed post on priority basic. Copy is enclosed as Annexure 3

The team comprised of two members had inspected the site on May 23, 2023. Copy of the attendance sheet of joint inspection team is enclosed as Annexure 4. Photographs related to joint inspection by committee are also enclosed as Annexure 5. Applicant was present during time of inspection.

A. Overview of Site:-

Bhamraha-2 village is located in Beohari Tehsil of Shahdol District (M.P). The area is located approx 90 km in North direction of Shahdol district headquarter place and approx 10 km North of Beohari Tehsil place. The accessibility of area is by metal road from Shahdol. There is no railway route available, Beohari is the nearest railway station. The area witness the subtropical climate with an averaging rainfall of about 700 to 800 mm annually. The site in question is private land located at Khasra No. 777/2 Rakba 0.542 Ha. belonging to Mr. Nandlal Gond S/o of Mr. Sukhnandan Gond, Khasra No. 779/2 Rakba 1.104 Ha. belonging to Mr. Nandlal Gond S/o of Mr. Sukhnandan Gond and Khasra No. 775 Rakba 1.70 Ha. belonging to Mr. Jaikaran S/o of Mr. Vishesar as per land records of M.P Govt. Land owner's readily provided their land for mining activities to M/s SCONS Infrastructure Pvt. Ltd. On the day of field visit mining was operational through braker machines at geo-location 24.109688°, 81.350148°.

The mining and crushing activity of short period i.e. 24 months is ongoing for the production of stone gitti for rehabilitation of existing



State Highway (SH) and up gradation to 2-lane with paved shoulder of Rewa-Beohari-Tetka Mod section of State highway-57 of Madhya Pradesh in EPC (Engineering, Procurement and Construction) mode. Madhya Pradesh Road Development Corporation Ltd. (MPRDCL), Bhopal office has issued Letter of Acceptance (LOA) on dated 19.09.2022 to M/s Gawar Construction, Gurgaon, copy of LOA is enclosed as Annexure 6. Further, M/s Gawar Construction has done a sub-contract agreement with M/s SCONS Infrastructure Pvt. Ltd., New Delhi on 12.11.2022, copy is enclosed as Annexure 7. Due to bad condition of Rewa-Beohari SH road, road jams usually happens and to avoid jams, sometimes alternate route is opted by transportation vehicles and during one such commute last year a passenger bus fell into the canal resulting in many casualties. To overcome this problem of road jam and increased probabilities of accidents, Madhya Pradesh government initiated the rehabilitation and up-gradation work of this SH-57.


B. Site Observations of the Joint Committee w.r.t.issues raised by the applicant:-

Issue 1: Regarding illegal blasting, mining and crushing activity


Observations of the Joint Committee:

Details of the permissions/consent are as follows:-

1. Gram Panchayat, Bhamraha-2, Janpad Panchayat Beohari, Distt.- Shahdol (M.P) during Gram Sabha meeting dated 02.10.2022 has agreed in favor of M/s SCONS Infrastructure Pvt. Ltd., to carry out mining, blasting and crushing activity on the site in question. NOC is issued. Enclosed as Annexure 8.



2. Collector Office (Mining Section), Shahdol vide order dated 06.01.2023 has granted in principle temporary NOC for mining of stone at Khasra No. 777/2, 779/2 and 775 on effective area 2.943 Ha. (against the 3.346 Ha land) at Bhamraha-2 village in favor of M/s SCONS Infrastructure Pvt. Ltd., (Prop. Mr. Shiv Kumar Bansal), Flat No. 251, Suryoday Appt., Dwarka Sector-12, Pocket-8, New Delhi, for use in construction of Rewa-Beohari-Tetkamod and Baghwar canal bridge road. Copy of the letter is enclosed as Annexure 9. The permit is of temporary nature for two years period for construction of road having annual production capacity 300000 cubic meters.
3. Collector Office (Mining Section), Shahdol letter no. 15 dated 09.01.2023 issued to M/s SCONS Infrastructure Pvt. Ltd. regarding temporary permission for mining activity for 2 years. Enclosed as Annexure 10.
4. Directorate of Geology and Mining Regional Office, Rewa, vide Reg. No. 35 dated 13.01.2023 has approved mining plan. Enclosed as Annexure 11.
5. Forest Department has issued clearance/NOC wrt distance from sensitive locations in view point of forestry vide letter no. 6237 dated 08.12.2022. Enclosed reference: Annexure 9.
6. Revenue Department has issued clearance/NOC wrt distance from sensitive and important establishment/institute in view of public gathering. Enclosed reference: Annexure 9.
7. M.P. SEIAA (State Environment Impact Assessment Authority), Bhopal vide ID No. EC23B001MP140093 dated 06.04.2023 has issued Environmental Clearance to M/s SCONS Infrastructure Pvt.



- Limited. Copy is enclosed as Annexure 12. SEIAA referred NGT order in Original Application No. 304 of 2019 for the distance of mining activity wrt to blasting. A minimum distance of 100m for non-blasting activity & minimum 200 m for blasting activities.
8. MPPCB has issued Consent to Establish (CTE) to the Project Proponent i.e. M/s. SCONS Infrastructure Private Limited (Stone Mines) on 19.05.2023 for Stone Boulder of 132017 M³/annum. Copy is enclosed as Annexure 13.
 9. MPPCB has issued Consent to Establish (CTE) to the Project Proponent i.e. M/s. SCONS Infrastructure Private Limited (Stone Crusher) on 23.05.2023 for Stone Gitti of 132017 M³/annum. Copy is enclosed as Annexure 14.
 10. On the date of committee visit i.e. 23.5.2023, the PP has not obtained Consent to Operate (CTO).

Issue 2: Regarding proximity of vital establishments near site in question.

Observations of the Joint Committee:

1. As per Forest department Forest Circle North, Shahdol office letter no.6237 dated 08.12.2022, there is no national park around 10 km, no biodiversity area around 10 km and Son-Ghariyal Sanctuary is situated approx 8 km from site in question. Also forest room no. 32 is 350 m from the mine site.
2. As per Tehsildar Office, Tehsil-Beohari, Distt.-Shahdol letter no. 495 dated 28.11.2022, there is no human settlement, water body, educational institute, hospital, archeological site, national heritage



within 500 m from the site. There is no interstate boundary within 10 km circumference.

3. As per Collector Office (Mining Section), Shahdol letter no. 65 dated 27.01.2023 to Member Secretary, SEIAA, Bhopal there is no pond/canal/dam/village temporary/permanent road within 500 m circumference of the site. Copy is enclosed as Annexure 15.

As per the field visit, it is observed that, there is no human settlement, water body, educational institute, hospital, national heritage within approx 500 m from the site.

Issue 3: Environmental pollution due to blasting, mining and stone crushing activities.

Observations of the Joint Committee:

There is no human settlement (except 2-3 scattered houses) within 500 meter of the activity site. No waste water is generated from blasting, mining and stone crushing process and no fossil fuel is used in the process, hence no harmful gaseous emissions takes place. Processing of ore is not done hence industrial effluent is not generated. It is mechanical process of size conversion from boulder to gitti. Management has provided wind breaking wall in 3 direction of crusher unit (250TPH), water spraying arrangements observed during inspection and management has also installed mist gun for control of fugitive dust. In view of size of mining area (i.e. 2.943 Ha), this mine comes under small scale category. As mine having lease area 5 hectare or less comes under small scale mine.

The stone crusher of 250TPH capacity established at (geo-location 24.107630, 81.34568) has following operational units:

S.NO.	Unit operation	Numbers of units	Power (hp)/each unit	Total power (hp)
1.	Conveyor	09	10	90
2.	Screen	01	20	20
3.	Primary Crusher	01	200	200
4.	Secondary Crusher	01	200	200
Total power capacity				510 HP (~382KW)

On the day of field visit on 23.05.2023, the crusher was found non-operational due to hydraulic chain repair issue at secondary crusher. During the visit about 60000 MT stone gitti was found stored in the stone crusher unit premises. As informed, the daily average operational hours are 15-16 hrs. Further, it was informed that about 30000MT was dispatched to RMC plant. Considering the above the crusher has operated minimum for 24 days (15 hrs average operation to process 90000MT stone gitti), that too without valid Consent to Operate. Actual quantification of the material can be done by the mining department.

Based on the latest satellite images available for December 2022 on Google Earth Pro, it was inferred that no mining activity was initiated during this period.



Issue 4: Loss to agricultural productivity of the farmers of adjacent lands, due to blasting, mining and crushing activities.

Observations of the Joint Committee:

During the site visit no agricultural crops found standing in nearby fields. The mining and crushing operation have just started from last three months. As per letter no. 495 dated 28.11.2022 of Tehsildar Office, Tehsil-Beohari, Distt.-Shahdol. There is another stone mine of 1.55 ha. area is situated around 250 m from the site in question, which is mentioned in principle mining consent order of collector office, shahdol, although no such complain regarding adverse effect to the nearby agricultural land and environment pollution due to operation of that mine is received till date to MPPCB office. Committee has seen few fruit bearing trees nearby viz. Mango, Jamun and vegetable.

Issue 5: Water body situated at distance of hardly 150 m from the site in question.

Observations of the Joint Committee:

As per the letter dated 6.1.2023 of Collector Office (Mining Section), Shahdol, there is no water body around 500 m of the site. However, there is a small low lying area (GPS location 24.10711,81.34653) at a distance of 100 to 150 m from the site in question where water storage tank is created in which rain water get accumulated during rainy season. As per the information provided by the locals, water from the so called water body is not used for drinking purpose. On the day of visit, no water was found in the low lying area during site visit.

Moreover, since no waste water is generated from this mining and crushing activity, hence possibility of discharge and contamination of this so called water body does not exist. To curtail the dust fall in this low-lying area, movable mist gun is installed along with wind braking wall of 12-15 ft in 3 sides of the crusher unit.

Issue 6: The area in question is a tribal area.

Observations of the Joint Committee:

All the Khasra's of site in question i.e. Khasra No. 777/2, 779/2 and 775 belongs to people of Gond Tribal community. M/s SCONS Infrastructure Pvt. Ltd. has done agreement from the land owner's prior to the commencement of activity, enclosed, as Annexure 16. Matter is basically related to revenue department. It is not an environment issue. Collector Office, Shahdol has issued in principle mining lease consent to M/s SCONS Infrastructure Pvt. Ltd. For mining in Khasra No.

777/2, 779/2 and 775. As per the agreement the ownership of land/property rights are not transferred.

Issue 7: Regarding Power Grid Corporation has raised objection regarding grant of mining lease over the site in question.

Observations of the Joint Committee:

Power Grid corporation of India Ltd. Rewa Office vide its letter no. 3374 dated 28.12.2022 has written letter to Collector office (Mining Section), Shahdol regarding illegal mining activity nearby High Tension Line. In this letter it is mentioned that as per CEA Regulation Section-4, Sub Section 65 (2) of Central Electricity Authority Notification dated 20.09.2010, no blasting activity can be done without permission of owner (Power Grid corporation) within 300 meter of 650 volt power line, and due to blasting/mining activity nearby line, possibility of damaging of line and felling of tower exists. Copy is enclosed as Annexure 17. This issue is linked with structural safety of electrical line, not with environment.


As per the in principle mining consent order dated 06.01.2023, Collector Office, Shahdol has taken PGCIL, Rewa objection letter into account, issued temporary permit for mining activity only in 2.943 ha. area out of applied area 3.346 ha., excluding 0.43 ha. area due to restrictive land distance. Issue linked with possibility of damage to with power grid line has already been amicably resolved by collectorate, Shahdol as above.

During the field visit, it was observed that mining was being carried out through hammer machines. However, mining polls were not found on the ongoing mining site. To ensure that the mining is being done in

the safe distance, re-erection of the polls is necessary. Further, to ensure that the blasting activity is not going to hamper the civil strength of the nearby grid line of Power Grid Corporation, a field visit in this regard shall be taken by PGCIL, Rewa along with the mining department to ensure that no risk shall arises wrt the strength of the power grid. Mining department shall ensure that the mining carried out in the area stipulated in mining plan. Any mining outside the mining plan area shall be considered as illegal and attract penalty and environmental compensation accordingly.

Action Taken by Regional Office, M.P Pollution Control Board, Shahdol:-

1. M.P Pollution Control Board, Regional Office Shahdol has issued notice on dated 27.04.2023 to M/s SCONS Infrastructure Pvt. Ltd. for obtaining consent for mining and crushing activity under Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974 and Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981. Copy is enclosed as Annexure 18.
2. Further, MPPCB, Shahdol issued Closure Notice U/s 31 'A' of Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 on dated 01.05.2023, for operating mine and crusher without obtaining consent to operate. Copy is enclosed as Annexure 19. RO, MPPCB, Shahdol has also instructed to install/adopt effective pollution control arrangement.
3. Subsequently Project Proponent (PP) has constructed about 3 meter high wind breaking wall around crushing section. The PP has also provided water sprinkler's at specified points within crusher



section viz. primary & secondary crusher, screen, conveyor belt. PP has also deployed movable mist gun based upon pressurized water spray system for control of fugitive dust emission in environment.

4. M/s SCONS Infrastructure Pvt. Ltd. has not obtained C.T.O neither given satisfactory reply within stipulated time limit, hence closure order u/s 31 'A' of Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 is issued on dated 18.05.2023. Copy is enclosed as Annexure 20.
5. Environmental Compensation due to mining operation without taking necessary permission/consent from the MPPCB is proposed to Head Office, MPPCB, Bhopal vide letter no. 469 dated 19.05.2023 against the M/s SCONS Infrastructure Pvt. Limited. Copy is enclosed as Annexure 21.
6. Letter is issued as reminder to mining office, Shahdol by RO, MPPCB, Shahdol office to not to issue electronic pit pass to mine not having valid CTO. Copy is enclosed as Annexure 22.






C. Conclusion:-

- M/s SCONS Infrastructure Pvt. Ltd., has obtained in-principle permission of Collector Office (Mining Section), Shahdol, NOC from Gram sabha, mining plan approved from dept. of geology and mining, EC from SEIAA Bhopal and CTE from MPPCB, Shahdol. The PP not yet obtained the CTO.
- No crops found standing in the nearby fields during visit.
- Also no demarcated and notified water body is present approx 500 meter of site. Only small low lying area near mine is observed which seen totally dried during inspection.
- The ownership of the land was not transferred and property rights are not changed/alterd/transferred. For mining activities agreement is done between tribal land owner and M/s SCONS Infrastructure Pvt. Ltd. Collector Office, Shahdol has also issued in-principle mining consent to M/s SCONS Infrastructure Pvt. Ltd. for same land, clearly mentioning Khasra number and Rakwa of land belonging to tribal community.

D. Recommendations:-

1. Project Proponent may be directed to obtain the Consent to Operate without any further delay and till the CTO is not obtained mining and crushing operation should not be done.
2. Power Grid Corporation & Mining department may jointly carry out field visit to examine that the ongoing mining practice in nearby area of the power grid are in line with the safety to grid or not.
3. Mining department verify and ensure that the mining is being carried out in the as per the approved mining plan boundaries. Any quantity of mined mineral mined outside the boundary shall attract penalty & environmental compensation.
4. The environmental compensation may be imposed for the period of operation without valid Consent to Operate.
5. Project Proponent (PP) to ensure the compliance of norms prescribed for stone crushers related to water sprinkling, plantation, metalled road etc. Also ensure to operate the mist gun to suppress the fugitive dust.
6. The mining department shall ensure that issuance of electronic pit pass to mine should be linked with the permission of consent to operate to curtail the operation without valid consent.

	
Sanjeev Kumar Mehra RO, MPPCB, Regional Office, Shahdol, (M.P)	Sunil Kumar Meena Scientist 'D' CPCB, Bhopal (M.P)



Item No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)**

Original Application No.31/2023(CZ)

Dharmendra Singh Gond

Applicant(s)

Versus

State of Madhya Pradesh & Ors..

Respondent(s)

Date of Hearing: **28.04.2023**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. ARUN KUMAR VERMA, EXPERT MEMBER**

For Applicant(s): Mr. Rohit Sharma, Adv.

For Respondent(s): None

ORDER

1. Issue raised in this application is illegal mining and blasting without any permission from the Competent Authority by Respondent no.4.
2. A substantial issue of environment has been raised.
3. Issue notice to the respondents, returnable within four weeks. Respondents are directed to submit their reply within six weeks through E-filing portal, preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
4. Applicant is directed to take necessary steps for service to the respondents by both ways and also on available email.
5. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-
 - i. One representative from Central Pollution Control Board, (M.P.).
 - ii. One representative from State Pollution Control Board

6. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.
7. Applicant is directed to supply the copy of the application and relevant documents to the Committee and Respondent(s) within a week and after compliance of service, the applicant has to submit an affidavit that the notice and copy of the application have been served upon the Committee and respondent(s).
8. The report in the matter be filed by the Committee through email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **11th July, 2023.**

Sheo Kumar Singh, JM

Dr. Arun Kumar Verma, EM

28th April, 2023
O.A No. 31/2023(CZ)
PU



क्षेत्रीय निदेशालय (मध्य), भोपाल
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

सं.नि.भो/एन.जी.टी.ओ.ए-31/2023(CZ)/276
प्रति

दिनांक : 12 मई, 2023

सदस्य राधिव
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेश कालोनी
भोपाल - 462 016

Most urgent
NGT Case

विषय: NGT OA No. 31/2023(CZ) "Dharmendra Singh Gond Vs. State of Madhya Pradesh & Ors." में अधिकारी के नामांकन बाबत।
संदर्भ: माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.04.2023

महोदय,

कृपया माननीय एन.जी.टी. द्वारा दिनांक 28.04.2023 को विषयांकित प्रकरण में पारित आदेश का अचलोकन करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न है)। विषयांकित प्रकरण में माननीय एन.जी.टी. द्वारा संयुक्त समिति का गठन किया गया है, जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल हैं। माननीय एन.जी.टी. सन्दूल जीन द्वारा उक्त आदेश के माध्यम से निम्नानुसार कार्य सम्पादित करने का कहा गया है।

उपरोक्त समिति द्वारा Factual and Action Taken Report कार्य पूर्ण करने के पश्चात छ सप्ताह के भीतर माननीय एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नोडल एजेंसी होगी। प्रकरण में आगामी सुनवाई दिनांक 11.07.2023 नियत है।

उक्त कार्य हेतु इस कार्यालय से श्री सुनील कुमार मीणा, वैज्ञानिक 'घ' (मोबाइल नं. 9617007250, ईमेल- sunil.cpcb@gov.in) को नामित किया जाता है। अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य हेतु तिथि निर्धारित कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें जिससे संबंधित अधिकारी को उपरोक्त बाबत सूचित किया जा सके एवं नियत तिथि के पूर्व की गई कार्यवाही सबधी प्रतिवेदन माननीय एन.जी.टी. के समक्ष संबंधित नोडल एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जा सके।

भवदीय,

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि

- (1) डिविजनल हेड, विधि अनुभाग, के.प्र.नि.बोर्ड, दिल्ली - की ओर कृपया सूचनाार्थ।
- (2) श्री सुनील कुमार मीणा, वैज्ञानिक 'घ' } की ओर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (3) क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्र.नि.बो., शहडोल

En 3101
(पी जगन)
क्षेत्रीय निदेशक

क्षेत्रीय निदेशक

"राजभाषा हिन्दी में पत्र व्यवहार का स्वागत है"

पता: "परिवेश भवन"

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेश कालोनी, भोपाल-462016

ईपीए डीएक्स 0755-2775385, 2775386

क्षेत्रीय निदेशक डाकवेकट : 0755-2775384

ई-मेल: cpcb.bhopal@gmail.com, वेबसाइट: www.cpcb.nic.in

"सिंगल यूज प्लास्टिक" का करें बहिष्कार

मुख्यालय:

परिवेश भवन

पूर्वी अजुन नगर, दिल्ली-110032

दूरभाष क्र : 011-43102030



क्षेत्रीय कार्यालय

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बाई पास चौक गोरतरा बुंदार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)



E mail: ropcbshahadol@gmail.com

क्रमांक 462 /क्षेका/प्रनिबो/शहडोल/2023

शहडोल, दिनांक 13/5/23

प्रति,

श्री धर्मेन्द्र सिंह गौड,

आर/ओ. 282, ग्राम- मऊ,

तहसील- ब्यौहारी

जिला- शहडोल (म.प्र.) 484774

मोबाइल नंबर:- 9098564211

विषय:- प्रकरण क्रमांक ओ.ए. 31/2023 में माननीय एनजीटी के द्वारा दिनांक 28.04.2023 को पारित आदेश के पालनार्थ संयुक्त जाँच समिति द्वारा निरीक्षण की सूचना एवं निरीक्षण के दौरान उपस्थिति बावत।

---000---

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष आपके द्वारा दायर अपील क्रमांक 31/2023 (धर्मेन्द्र सिंह गौड विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य) में दिनांक 28.04.2023 को पारित आदेश के पालनार्थ दिनांक 23.05.2023 को अपराह्न 02:00 बजे से संयुक्त जाँच समिति के द्वारा निरीक्षण किया जाना निर्धारित किया गया है।

अतः तत्संबंध में आपकी या आपके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति [सुसंगत दस्तावेजों सहित (यदि हो, तो)] निरीक्षण के दौरान दिनांक 23.05.2023 को अपेक्षित है।

०/६



क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
शहडोल (म.प्र.)


०/६

Joint Inspection Team Visit in NGT Case No. 31/2023

Attendance Sheet :-


Date of Inspection:- 23.05.2023

S.no.	Name of Member	Degination	Department	Signature
1	Mr. Sunil Kumar Meena	Scientist 'D'	CPCB, Bhopal	 23-5-2023
2	Mr. Sanjeev Kumar Mehra	Regional Officer	MPPCB, Shahdol	 23/5



No habitation and sensitive places around mine area exits






Petitioner Shri Dharmendra Gond is heard during joint visit

24



Shahdol, MP, India
Beohari, Shahdol, 484774, MP, India
Lat 24°6'29.0365"N, Long 81°20'52.1233"E



Shahdol, MP, India
Beohari, Shahdol, 484774, MP, India
Lat 24°6'29.0425"N, Long 81°20'52.1910"E
05/23/2023 04:37 PM GMT+05:30

Construction of wind breaking barrier of more than 03 meter height around crushing area



Shahdol, MP, India
Beohari, Shahdol, 484774, MP, India
Lat 24°6'23.5463"N, Long 81°20'42.0392"E
05/23/2023 05:04 PM GMT+05:30




Shahdol, MP, India
Beohari, Shahdol, 484774, MP, India
Lat 24°6'23.5660"N, Long 81°20'42.0302"E
05/23/2023 05:04 PM GMT+05:30

Fruit bearing trees and vegetables are seen developed around crusher area





 **Shahdol, MP, India**
Beohari, Shahdol, 484774, MP, India
Lat 24°6'25.1793"N, Long 81°20'48.2287"E
05/23/2023 04:44 PM GMT+05:30



 **Shahdol, MP, India**
Beohari, Shahdol, 484774, MP, India
Lat 24°6'25.1734"N, Long 81°20'48.2726"E


Low lying area which is termed as pond having no water seen (in total dry condition)

27




Joint committee is seen listening people

28



Shahdol, MP, India
Beohari, Shahdol, 484774, MP, India
Lat 24°6'31.2657"N, Long 81°20'50.2612"E
05/23/2023 05:25 PM GMT+05:30



Shahdol, MP, India
Beohari, Shahdol, 484774, MP, India
Lat 24°6'31.1521"N, Long 81°20'50.2891"E

Water sprinkling is seen being done in roads used for movement of heavy vehicles engaged in transportation of stone boulders and crushed gitti

✓ (29)



Air pollution control arrangements (wind breaking wall, covering of screen section and covering of conveyors)

(30)



Mining activity observed during visit (also showing no habitation around mine area)

(31)

[Handwritten signature]



M.P. Road Development Corporation Ltd.

(M.P. State Highway Authority)

(Govt. of M.P. Undertaking)

45-A, Arera Hills, Bhopal-462011

☎ : 0755-2597290 / 2765205 Fax : 0755-2572643, Website : mprdc.gov.in

No. 1.0920/567/MPRDC/Procu/2022

Dated: 19/09/2022

To,

M/s Gawar Construction
 SP-01, JMD Galleries Sector-48
 Sohna Road, Gurgaon-122001
 Mob No.-9311751000
 Email Id: pkalra@gawar.in

Sub: Letter of Acceptance for the work "Rehabilitation and up-gradation to 2-Lane with paved shoulder of Rewa-Beohari-Tetka Mod Section of SH-57 (From Ch.0.00 to 18.55 Km, Construction of Baghwar Canal Bridge from Ch. 32.60 to 33.00 Km. and Ch.40.45 to 111.50 Km, Design length 90.00 Km.)" in the state of Madhya Pradesh on EPC Mode. (Tender ID: 2022_MPRDC_206737_1).

Ref:

1. NIT No. 3560/567/MPRDC/Procu/2022 dated: 24.05.2022
2. Your bid for the subject work dated 27.06.2022

Dear Sir (s),

This is to notify you that your Bid dated 27.06.2022 for the Rehabilitation and up-gradation to 2-Lane with paved shoulder of Rewa-Beohari-Tetka Mod Section of SH-57 (From Ch.0.00 to 18.55 Km, Construction of Baghwar Canal Bridge from Ch. 32.60 to 33.00 Km. and Ch.40.45 to 111.50 Km, Design length 90.00 Km.) in the state of Madhya Pradesh on EPC Mode at your quoted bid price amounting to **Rs. 289,01,11,111/- (Rupees Two Hundred Eighty Nine Crore One Lakh Eleven Thousand One Hundred Eleven only)** has been determined to be lowest evaluated bid and is substantially responsive and has been accepted.

1. You are requested to return a duplicate of the LOA as an acknowledgement and sign the Contract Agreement within the period prescribed in the RFP.
2. You are also requested to furnish Performance Security for an amount of **Rs. 14,45,05,560/- (Rupees Fourteen Crore Forty Five Lakh Five Thousand Five Hundred Sixty Only)** and Additional Performance Security for an amount of **Rs. 5,70,38,000/- (Rupees Five Crore Seventy Lakh Thirty Eight Thousand Only)** as per Clause 2.21 of the RFP within 30 (thirty) days of receipt of this Letter of Acceptance (LOA). In case of delay in submission of Performance Security and Additional Performance Security, if

any, you may seek extension of time for a period not exceeding 60 (Sixty) days in accordance with Clause 2.21 of RFP.

3. In case of failure of submission of Performance Security, Additional Performance Security and Security against Damages (if any) within the additional 60 (Sixty) days time period, the award shall be deemed to be cancelled and Bid security shall be encashed by the Authority as per Clause 2.21 of the RFP.

Yours Faithfully



(Gopal Singh)

Chief Engineer (Procu.)

Ph no-0755-2597216

Email ID- procu-mprdc@mp.gov.in

No. /567/MPRDC/Procu/2022

Dated:/09/2022

Copy to:

1. PA to MD, MPRDC for information.
2. Chief Engineer(BOT), MPRDC, Bhopal for information and further necessary action please.
3. General Manager (Finance), MPRDC, Bhopal for information.
4. Divisional Manager, MPRDC, Rewa for information.

1-
Chief Engineer (Procu.)



GAWAR
CONSTRUCTION LIMITED

GAWAR CONSTRUCTION LIMITED
SF-01, JMD Galleria
Sohna Road, Gurgaon
Gurgaon - 122001 (Haryana)
Phone: (0124) 2484000
Fax: (0124) 2484000
E-mail: gawar@gawar.in

An ISO 9001:2015 Certified Company
CIN : U70199HR2008PLC037773

DATE: 12.11.2022

SUB CONTRACT AGREEMENT

Principal Employer : **M.P. Road Development Corporation Ltd. (MPRDC)**

Name of work : **Rehabilitation and up-gradation to 2-Lane with paved shoulder of Rewa-Beohari-Tetka Mod Section of SH-57 (From Ch.0.00 to 18.55 Km, Construction of Baghwar Canal Bridge from Ch. 32.60 to 33.00 Km. and Ch.40.45 to 111.50 Km, Design length 90.00 Km.) in the state of Madhya Pradesh on EPC Mode.**

Value of work Sub-Contract : Rs. 141.50 Crore excluding GST

This sub contract agreement is entered in Gurgaon on this 12th of November, 2022 between the following.

Main Contractor : **Gawar Construction Limited PARTY-A**
SF-01, JMD Galleria, Sector-48
Sohna Road, Gurgaon, Haryana - 122001

Sub-Contractor : **M/s Scons Infrastructure Pvt. Ltd.**
Flat No-251, Suryodaya Appt,
Dwarka Sec-12, Pocket-8,
New Delhi-110078 **PARTY-B**

Nature of work allotted : **Rehabilitation and up-gradation to 2-Lane with paved shoulder of Rewa-Beohari-Tetka Mod Section of SH-57 (From Ch.0.00 to 18.55 Km, Construction of Baghwar Canal Bridge from Ch. 32.60 to 33.00 Km. and Ch.40.45 to 111.50 Km, Design length 90.00 Km.) in the state of Madhya Pradesh on EPC Mode.**

Whereas the above work was allotted to Gawar Construction Limited (Party A) (hereinafter referred as "Main Contractor") by **M.P. Road Development Corporation Ltd. (MPRDC)**.
For Scons Infrastructure Pvt. Ltd. For Gawar Construction Limited

Shivanshu Bansal

Regd. Office : - 378, Sector 7, Hisar - 125005 (Haryana)
Ph.: (01662) 246117, 250361, Fax : (01662) 248885

ग्राम पंचायत, भमरहा II

जनपद पंचायत ब्यौहारी, जिला-शहडोल (म.प्र.)

नकल कार्यवाही ग्राम पंचायत/ग्राम सभा बैठक दिनांक . 22/10/2022

बैठक का समय 11:52 बजे दि. कुल उपस्थिति 125.....पुरुष... 80.....महिला . 25.....

आज दिनांक 02/10/2022 को ग्राम पंचायत भमरहा II के पंचायत भवन में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत

बैठक का आयोजन सरपंच श्रीमती आरती गुप्ता की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई है।

बैठक के कोरम पूर्ण पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

क्र.	विषय	कार्यवाही का विवरण एवं निर्णय	हस्ताक्षर
4 21/10/22	ग्राम पंचायत भमरहा II में उक्त आपसी में पत्या अन्न जोर डार डार रोड निगम से सम्बन्धित नशीने स्थापित करने का प्रस्ताव एवं उसे लागू करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय।	प्रस्ताव 804 श्री रामसिंह पंचमहोदय द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि ग्राम पंचायत भमरहा II के ग्राम भमरहा II में मेसर्स एलकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बजट नम्बर-362 रोहितनगर एण्ड-2 प्यवरिया काला तहसील इन्दौर भोपाल हाप उक्त आपसी के आपसी अक्षय नम्बर 775 रुवा . 11.000 हे० एव आपसी अक्षय नम्बर 777/2 रुवा-0.54 हे० एवं आरती अक्षय नम्बर 779/2 रुवा 11.04 हे० एवं आपसी अक्षय नम्बर 800/11.11 रुवा 0.64 हे० एवं आपसी अक्षय नम्बर 800/11.12 रुवा 0.56 हे० एवं आपसी अक्षय नम्बर 800/11.12 रुवा 0.20 हे० उक्त आपसी के पत्या अन्न जोर डार डार रोड निगम से सम्बन्धित नशीने स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए निर्णय किया गया कि ग्राम पंचायत भमरहा II को उक्त आपसी के	श्री राम गुप्ता

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शान्ति) जिला शहडोल म.प्र.

/सैद्धान्तिक सहमति आवेदन/

शहडोल, दिनांक 06 जनवरी 2023

मसर्स स्कॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड प्रो. शिव कुमार बंसल प्लैट नंबर 25। सूर्योदय अपार्टमेंट पाकेट-8 सेक्टर -12 द्वारका नई दिल्ली - 110028 के रोवा-ब्यौहारी-टेटका मोड़ और बघवार कैनल ब्रिज (रोवा-ब्यौहारी-टेटका मोड़ और बघवार नहर पुल) रोड़ निर्माण का कार्य MPRDC भोपाल द्वारा सौंपा गया है।

उस के संबंध में तहसीलदार तहसील ब्यौहारी एवं कार्यालय ग्राम पंचायत भमरहा द्वितीय जनपद शहडोल ब्यौहारी के ग्राम सभा का प्रस्ताव तथा भूमि स्वामी का शपथ पत्र, खनि निरीक्षक तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल में सौंपे प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. कार्यालय वनसांख्यिकाधिकारी, उत्तर शहडोल जिला शहडोल म.प्र. के पत्र क्र./भा.चि./2022/6237 शहडोल दिनांक 08.12.2022 के द्वारा लेख किया गया है कि उक्त प्रकरण का जांच उप मण्डलाधिकारी ब्यौहारी के माध्यम से कराई गई है। कार्यालय उप वनसांख्यिकाधिकारी ब्यौहारी के पत्र क्रमांक/ एस.डी.ओ./2022/2884 दिनांक 07.12.2022 के प्रतिवेदनानुसार आवेदन क्षेत्र लगभग बाधकगढ़ टाईगर रिजर्व से 19 कि.मी., संजय टाईगर रिजर्व से 15 कि.मी., सोन घड़ियाल अभ्यारण्य से 18 कि.मी. की दूरी एवं वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 32 से 350 की दूरी पर स्थित है एवं सिया द्वारा निर्धारित प्रपत्र बिन्दु क्रमांक 01 से 04 तक की जानकारी संलग्न है। यदि खसरे में छोटे बड़े झाड़ जंगल दर्ज हो तो, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू होंगे।
2. कार्यालय तहसीलदार तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र. के पत्र क्र.495/खनि./प्रवा./2022 ब्यौहारी दिनांक 28.11.2022 के द्वारा लेख किया गया है कि मानव बसाहट, जलीय निकाय, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, राष्ट्रीय धरोहर/पुरातत्विय महत्त्व 500 मीटर की दूरी में स्थित नहीं है। 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राज्यीय सीमा नहीं है। 250 मीटर की परिधि में 1.55 है, पर पत्थर खदान (केशर आधारित) स्थित है। रेलवे 10 कि.मी. नदी 500 मीटर, नाला 200 मीटर, रोड़ 200 मीटर एवं चान की आबाड़ी 1 कि.मी. है। पत्र दिनांक 28.12.2022 के अनुसार राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन मय नक्शा ट्रेस, नजरी नक्शा प्राप्त, प्रतिवेदन में हाईटेन्सन लाईन एवं टावर से 100 मीटर दूरी का निर्धारण आवेदित भूमि पर कर दिया गया है। हाईटेन्सन लाईन 100 मीटर की दूरी में भूमि ख.न. 775 व 777/2 का लगभग 0.430 हे. रकबा प्रभावित होता है अतएव शेष रकबा पर अनुज्ञा दिया जाना उचित होगा।
3. कार्यालय ग्राम पंचायत भमरहा द्वितीय जनपद पंचायत ब्यौहारी जिला शहडोल के द्वारा ग्राम सभा का प्रस्ताव क्र.4 दिनांक 02.10.2022 के द्वारा आवेदित स्थल पर पत्थर खनन, केशर, डामर प्लॉट एवं रोड़ निर्माण से सम्बंधित मशीने स्थापित करने हेतु अनुमति दी गई है।
4. भूमि स्वामियों के द्वारा ग्राम भमरहा द्वितीय तहसील ब्यौहारी के खसरा क्रमांक 775, 777/2, 779/2 कुल रकबा 3.346 हेक्टेयर निजी भूमि में खनन किये जाने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया करते हुये सहमति दी गई है।
5. खनि निरीक्षक तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल द्वारा प्रश्नाधीन के संबंध में दिनांक 30.12.2022 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमें लेख किया गया है कि आवेदक मसर्स स्कॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड प्रो. शिव कुमार बंसल प्लैट नंबर 25। सूर्योदय अपार्टमेंट पाकेट-8 सेक्टर -12 द्वारका नई दिल्ली के द्वारा तहसील ब्यौहारी के ग्राम भमरहा द्वितीय के खसरा क्रमांक खसरा क्रमांक 775, 777/2, 779/2 कुल रकबा 3.346 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज पत्थर (केशर के माध्यम से निजी निर्मित किये जाने हेतु) उद्घनन कर उपयोग रोवा-ब्यौहारी-टेटका मोड़ और बघवार कैनल ब्रिज (रोवा-ब्यौहारी-टेटका मोड़ और बघवार नहर पुल) रोड़ के निर्माण हेतु अस्थाई अनुज्ञा हेतु आवेदन किया गया है जिसके संबंध में अधोहस्ताक्षर कर्ता से प्रतिवेदन प्राप्त किया है जो कि विन्दुवार निम्नानुसार है:-
1. यह कि आवेदित स्थल निजी स्वामित्व की भूमि है, जो कि राजस्व अभिलेखों के अनुसार रामभजन गोंड पिता जयकरण सिंह गोंड मुन्ना गोंड पिता जयकरण सिंह गोंड, नन्दलाल सिंह गोंड पिता जयकरण सिंह गोंड निवासी ग्राम भमरहा द्वितीय ग्रामा व तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र., शान्ति बाई पुत्री जयकरण सिंह गोंड निवासी ग्राम करही पो. भोलहरा थाना व तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र. के नाम दर्ज है, जो कि सहमति प्राप्त है।

कमश.

36

129

सहसंचालन एवं तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र. के पत्र दिनांक 28.12.2022 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर
के द्वारा बताया है कि राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन मय नकशा ट्रेम, नजरी नक्शा प्राप्त, प्रतिवेदन में हाईटेन्सन लाईन
की दूरी से 100 मीटर दूरी का निर्धारण आवेदित भूमि पर कर दिया गया है। हाईटेन्सन लाईन 100 मीटर की दूरी में
आवक्यता 775 व 777/2 का लगभग 0.430 हे. रकवा प्रभावित होता है अतएव शेष रकवा पर अनुज्ञा दिया जाना उचित
है।

पुनः विद्युत कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड कार्यालयीन पत्र/प.क्षं.-11/टी.एस.एम//3374 दिनांक 28.12.2022 लेख
किया गया है कि भारत के राजपत्र द्वारा प्रकाशित विद्युत प्राधिकार अधिसूचना, 20 सितम्बर 2010 CEA रेगुलेशन खंड IV
अ. उपलब्ध संख्या 65(2) के अनुसार 650 वोल्ट से ज्यादा की पावर लाईन से 300 मीटर की दूरी तक बिना ओवर
(पावर लाईन) के अनुमति के ब्लास्टिंग नहीं किया जा सकता। यदि खदान परिया लीज पर आवंटित की गयी है तो खनिज
इंस्पेक्टर की अनुमति के बिना ब्लास्टिंग नहीं किया जाना है। उक्त दस्तावेज संलग्नक (ग) है। इस संदर्भ में ब्लास्टिंग द्वारा
उत्पन्न किये जा रहे साईटो की दूरी पावर लाइन से बहुत ही कम है।

4. यह कि आवेदित स्थल को देखने से प्रतीत होता है कि आवेदित स्थल में पर्याप्त मात्रा में पत्थर उपलब्ध है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदित क्षेत्र को रोड़ निर्माण हेतु आवेदक मेसर्स स्कॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट
लिमिटेड प्रो. शिव कुमार बंसल फ्लैट नंबर 251 सूर्योदय अपार्टमेंट पाकेट-8 सेक्टर -12 द्वारका नई दिल्ली के पक्ष में ग्राम
भमरहा द्वितीय तहसील ब्यौहारी के खसरा क्रमांक 775, 777/2, 779//2 कुल रकवा 3.346 हे. क्षेत्र में से प्रतिबन्धात्मक क्षेत्र
दूने को छोड़ जाने के उपरांत को रकवा 2.943 हे. पर खनिज पत्थर की अस्थाई अनुज्ञा स्वीकृत की जा सकती है का लेख
किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रतिवेदनो के आधार पर आवेदक मेसर्स स्कॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड प्रो. शिव
कुमार बंसल फ्लैट नंबर 251 सूर्योदय अपार्टमेंट पाकेट-8 सेक्टर -12 द्वारका नई दिल्ली के लिए ग्राम भमरहा द्वितीय तहसील
ब्यौहारी के खसरा क्रमांक 775, 777/2, 779//2 रकवा 2.943 हे. क्षेत्र पर खनिज पत्थर का उत्खनन कर उपयोग रीवा -
ब्यौहारी - टेटका मोड़ और बघवार केनाल ब्रिज (रीवा-ब्यौहारी-टेटका मोड़ और बघवार नहर पुल) रोड़ के निर्माण हेतु म.प्र.
खनिज नियम 1996 के नियम 68(1) के तहत अस्थाई अनुज्ञा प्रदान किये जाने की सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान की जाती है
। आवेदक आवेदित क्षेत्र से संबंधित अनुमोदित खनन योजना पर्यावरण अनुमति एवं प्रदूषण विभाग की सम्मति 03 माह के
अन्दर प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

कलेक्टर

जिला शहडोल म.प्र.

शहडोल, दिनांक 06 जनवरी 2023

पुक्रमांक 19/खनिज/2023/ 6
प्रतिनिधि:-

1. अमृविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी जिला शहडोल की ओर सूचनार्थ।
2. तहसीलदार, तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
3. म.प्र. आर. डी. सी. 45 ए अरेरा हिल्स भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. खनि निरीक्षक ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
5. मेसर्स स्कॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड प्रो. शिव कुमार बंसल फ्लैट नंबर 251 सूर्योदय अपार्टमेंट पाकेट-8 सेक्टर -12 द्वारका नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ एंव प्रेषित।

कलेक्टर

जिला शहडोल म.प्र.

37

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला शहडोल म.प्र.

क्रमांक/19/खनिज/2023/15

शहडोल दिनांक 09 जनवरी 2023

प्रति

मेसर्स स्कॉन्स इंकॉर्पोरेटेड प्राइवेट लिमिटेड
प्रो 251 शिव कुमार बंसल फ्लैट नंबर.
सूर्योदय अपार्टमेंट पाकेट-8 सेक्टर-12
द्वारका नई दिल्ली -110078

विषय:- अस्थायी अनुज्ञा के लिए जारी सैद्धांतिक स्वीकृति उत्खननपट्टे की अवधि एवं उत्पादन उल्लेख करने वाकत ।


सन्दर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 19/खनिज/2023/06 शहडोल दिनांक 06 जनवरी 2023 को जारी अस्थाई अनुज्ञा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति ।

-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित लेख है कि कार्यालयीन आदेश क्रमांक 19/खनिज/2023/06 शहडोल दिनांक 06 द्वारा ग्राम भमरहा द्वितीय तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल के खसरा क्रमांक 775,777/2,779/2 के रकबा 2.943 हे. पर खनिज पत्थर उत्खनन कर रोड़ के निर्माण हेतु अस्थायी अनुज्ञा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कि गयी थी जिसमें उक्त अस्थाई अनुज्ञा कि अवधि उत्पादन क्षमता 300000 घनमीटर पडी जाने एवं उक्त अस्थाई अनुज्ञा 2 वर्ष /तेका अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है।


09.01.2023
प्रभारी अधिकारी
(खनिज)
जिला शहडोल म.प्र.

MINING PLAN FOR



BHAMRAHA-2 TEMPORARY PERMIT (MINERAL STONE)

VILLAGE -BHAMRAHA-2, TEHSIL-BEOHARI

DISTRICT - SHAHDOL (M.P.)

KHASRA NO. 775, 777/2 & 779/2 AREA: 2.943 Ha. (Pvt. Land)

TEMPORARY PERMIT PERIOD OF PLAN 24 MONTH

Prepared Under Rule Sub- Section 42 Of Madhya Pradesh
Miner Mineral Rule 1996, Amendment Rule, 2013

January, 2023



Prepared By:

PUSHPENDRA KUMAR TIWARI

Reg: RQP/DGMMP/30/2013

Mob. : 9424933558

Regional Head

Directorate of Geology & Mining
Regional Office Rewa (M.P.)

APPLICANT

P. K. Tiwari
Regional Head
RQP/DGMMP/30/2013

M/S SCONS INFRASTRUCTURE PVT. LTD.

PROP. SHRI SHIV KUMAR BANSAL

R/o- Flat No- 251, Suryoday Appt, Dwarka Sector-12, Pocket-8,
New Delhi-110078

Content's

Chapters	Description	Page No.
1	General	1
2	Location And Accessibility	2-5
3	Geology and Exploration	6-9
4	Mining	10-14
5	Mine Drainage	15
6	Stacking of mineral reject and disposal of waste	16
7	Provision for separate stacking of surface soil Excavated from mining operation and its utility	17-18
8	Use of Mineral	19
9	Other	20
10	Mineral processing/ beneficiation	21
11	Any other matter which is directed to include in mining plan	22
12	Environment Management Plan	23-29
13	Progressive mine closure plan	30
	Consent from the applicant	31

P. K. Tiwari
Regional Director
RQP/DGMRP/30/2013

(124)

CHAPTER -1

1.0 GENERAL

i	Name of Applicant	M/s Scons Infrastructure Pvt. Ltd.
ii	Address	Prop. Shri Shiv Kumar Bansal, R/o Flat No-251, Suryoday Appt, Dwarka Sector-12, Pocket-8, New Delhi-110078
iii	Phone	
iv	Status of Applicant	Individual
v	Mineral(s), which occurring in the area and which the applicant intends to mine	Stone is occurring in the area and applicant intends to mine same.
vi	Temporary Permit Period	02 year (24 Month) or completion of work
vii	Plan period	02 year (24 Month) or completion of work)
viii	Category of mine	'B'

1.1 NAME OF RQP PREPARING MINING PLAN

i	Name	Pushpendra Kumar Tiwari
ii	Address	Village Lohi Post Lohi rewa mp
iii	Phone	09424933558
v	E.mail	geopushpendra@rediffmail.com
vi	Registration No.	RQP/DGMMP/30/2013

1.2 NAME OF PROSPECTING AGENCY: N.A.


1.3 REFERENCE NO. AND DATE OF CONCENT LETTER (IN PRINCIPAL) FROM THE STATE GOVERNMENT

State Government order No.19/ खनिज /2023/06, Shahdol, Dated 06/01/2023 (see annexure no. I)

PREPARED BY: PUSHPENDRA KUMAR TIWARI, RQP/DGMMP/30/2013

P.K. Tiwari

(41)



CHAPTER-13
PROGRESSIVE MINE CLOSURE PLAN

- (i) This temporary permit of stone and PMCP not required.
- (ii) **Plantation:** About 500 plantations are proposed for the PMCP period the cost for maintaining the plantation is as follows:
Cost: Rs.10000.00 & Care and maintenance: Rs 240000.00
- (iii) **Parapet:**
Not proposed.
- (iv) **Bund/Garland:**
Not proposed
- (v) **Retaining/Toe wall:**
Not proposed
- (vi) **Settling Tank:**
Not proposed
- (vii) **Miscellaneous:** It will be around Rs.100000.00

Proposal	Cost in Rs.
Reclamation/Rehabilitation	0000.00
Plantation	250000.00
Parapet	-
Bund/Garland	-
Toe wall	-
Settling Tank	-
Miscellaneous	10000.00
Total	350000.00

(viii) **FINANCIAL ASSURANCE**

This temporary permit of stone and FA not required.

13.09 CERTIFICATE: Refer annexure no. IV

PLACE: REWA

DATE: 09/01/2023

P.K.Tiwari
PUSHPENDRA KUMAR TIWARI

RQP/DGMMP/ 30/2013

42

CONSENT FROM THE APPLICANT

I hereby accept all content given in this Mining Plan by the recognized person may be deemed to have been made with my knowledge and consent and shall be acceptable to me and binding on me in all respect, "understood the contents of the Mining Plan and agree to implement".

For

(Scons Infrastructure Pvt. Ltd.)

Applicant

P. K. Tiwari
Pushpendra Kumar Tiwari
RQP/DCMMP/30/2013

(43)

ENVIRONMENTAL
CLEARANCE



Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment
Authority(SEIAA), MADHYA PRADESH)

To,

The -1
SCONS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
Flate no. 251, Suryoda Apartment Dwarka Sector-12, Pocket 08, Dwarka
New Delhi -110078

Subject: Grant of Environmental Clearance (EC) to the proposed Project Activity
under the provision of EIA Notification 2006-regarding

Sir/Madam,

This is in reference to your application for Environmental Clearance (EC)
in respect of project submitted to the SEIAA vide proposal number
SIA/MP/MIN/415708/2023 dated 04 Feb 2023. The particulars of the environmental
clearance granted to the project are as below.

- | | |
|---|--|
| 1. EC Identification No. | EC23B001MP140093 |
| 2. File No. | 9675/2023 |
| 3. Project Type | New |
| 4. Category | B |
| 5. Project/Activity including
Schedule No. | 1(a) Mining of minerals |
| 6. Name of Project | Bhamraha-2 Stone Quarry (Temporary
Permit) |
| 7. Name of Company/Organization | SCONS INFRASTRUCTURE PRIVATE
LIMITED |
| 8. Location of Project | MADHYA PRADESH |
| 9. TOR Date | N/A |

The project details along with terms and conditions are appended herewith from page
no 2 onwards.

Date: 06/04/2023

(e-signed)
Shri,Mujeebur Rehman Khan
Member Secretary
SEIAA - (MADHYA PRADESH)


*Note: A valid environmental clearance shall be one that has EC identification
number & E-Sign generated from PARIVESH.Please quote identification
number in all future correspondence.*

This is a computer generated cover page.

44

PARIVESH

(Pro-Active and Responsive Facilitation by Interactive,
and Virtuous Environmental Single-Window Hub)



संदर्भ: प्रस्ताव क्र. SIA/MP/MIN/415708/2023 - प्रकरण क्र. 9675/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स स्कॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. प्रोपराईटर श्री शिवकुमार बंसल, निवासी फ्लेट नं. 251, सूर्योदय अपार्टमेंट, द्वारका सेक्टर-12, पॉकेट-08, द्वारका, न्यू दिल्ली-110078, द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 1,32,017 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 775, 777/2, 779/2, रकबा 2.943 हेक्टेयर, ग्राम भमरहा-2, तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल (म.प्र.)

भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 एवं उपरांत के संशोधनों तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा समय-समय पर जारी ज्ञापनों के परिपालन में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एवं प्रक्रिया अनुरूप परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव (क्र. SIA/MP/MIN/415708/2023 एवं MP SEIAA में पंजीयन दिनांक 07.02.2023) एवं संबंधित अनिवार्य दस्तावेजों के आधार पर राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) और राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) के द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन किया गया।

II कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल का पत्र क्र. 65 दिनांक 27.01.2023 के अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/जैवविविधता क्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है (सोन घड़ियाल अभ्यारण्य. 8.0 कि.मी. की दूरी में स्थित है) एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि के बाहर स्थित है। आपके द्वारा प्राप्त अनुमोदित खनन योजना के अनुसार अक्षांश 24°6'28.04" से 24°6'33.55" और देशांतर 81°21'3.46" से 81°21'0.99" भौगोलिक निर्देशांक पर स्थित है।

III. परियोजना पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना एस.ओ. 1533(E) दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत उपरोक्त पैरा (II) के अनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत सलाहकार द्वारा प्रस्तुत की गई अभिप्रमाणित जानकारी तथा दस्तावेजों के आधार पर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) की 777वीं बैठक दिनांक 28.03.2023 में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 627वीं बैठक दिनांक 03.03.2023 में प्रकरण पर की गई अनुंशसा के आधार पर विशिष्ट, साधारण/मानक शर्तें अधिरोपित करते हुये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।

अतः उपरोक्त निर्णय के परिपालन में उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक मेसर्स स्कॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. प्रोपराईटर श्री शिवकुमार बंसल, निवासी फ्लेट नं. 251, सूर्योदय अपार्टमेंट, द्वारका सेक्टर-12, पॉकेट-08, द्वारका, न्यू दिल्ली-110078, द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 1,32,017 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 775, 777/2, 779/2, रकबा 2.943 हेक्टेयर, ग्राम भमरहा-2, तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल (म.प्र.)। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म. प्र एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा अनुंशसित निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों और तदुपरांत मानक शर्तों के अधीन पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(अ) विशिष्ट शर्तें:

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) शहडोल के आदेश क्र. 06 दिनांक 06.01.2023 के माध्यम से उक्त खदान को 02 वर्ष (दिनांक 20.10.2024 तक) की सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 20.10.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
2. शहडोल जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क, तालाब के HFL से एवं बसाहट से न्यूनतम 200 मीटर तक " नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 अनुसार पत्थर खनन प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, सिस्सू, बबूल, महुआ, जंगल जलेबी, अचार, नीम, सीताफल, आम, चिरोल आदि।	1160
2.	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू, पीपल, चिरोल, सीताफल, करंज, सफेद कॉस्टर आदि।	230
3	ग्राम भमरहा-२ के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कचनार, सिस्सू, चिरोल, नीम, बरगद, पीपल आदि।	100
4	ग्राम भमरहा-२ के शासकीय माध्यमिक शाला के मैदान में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- कचनार, सिस्सू, नीम, बरगद, पीपल, चिरोल आदि।	200
5	ग्राम भमरहा-२ एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, अमला, कचनार, सिस्सू, चिरोल, नीम, बरगद आदि।	1870
योग			3560

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम बमराहा के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 01 स्ट्रेचर एवं 02 व्हील चेयर्स उपलब्ध कराई जायें।
- ग्राम बमराहा में हैंडपंप की स्थापना की जाये एवं उसके आस पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट का निर्माण किया जाये।


साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा।

उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

6. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारों ओर की जाये।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
9. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
12. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
17. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
18. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

20. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
23. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
24. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा।
26. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिये बजटीय प्रावधान रु. 16.82 लाख एवं पूंजी रु. 03.05 लाख प्रतिवर्ष प्रस्तावित है।
29. खनन कार्य स्वीकृत खान योजना एवं प्रस्तावित भू उपयोग के अनुसार किया जाये। खनन सुरक्षा हेतु महानिदेशालय द्वारा निर्धारित डेंजर जोन (500मी.) के विनियमों का भी अनिवार्य रूप से पालन किया जाये एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये आवश्यक उपाय किये जायें।
30. स्वीकृत खनन क्षेत्र का सीमांकन अंक्षाश एवं देशांतर दर्शाते हुये बाउन्ड्री पिलर पर सीमा चिन्ह द्वारा किया जाये एवं खनन क्षेत्र के चारो ओर फेन्सिंग करवाई जाये। खनन क्षेत्र में सूचना पटल पर खदान की जानकारी एवं सुरक्षा उपायों का दर्शया जाये।
31. धूल के दमन के हेतु पट्टा क्षेत्र से बाहर निकलने वाले वाहनों पर पानी छिड़काव हेतु सोलर पंप/पानी के टैंकरों के साथ आवेरहेड स्पिंकलर और निकासी सड़क पर निश्चित प्रकार के स्पिंकलर की व्यवस्था की जानी चाहिये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक लॉग बुक रखी जाये जिसमे पानी के छिड़काव और वाहन की आवाजाही का दैनिक विवरण दर्ज किया जाये।

32. खनिज का परिवहन केवल आवश्यक नमी वाले ढके हुये पी.यू.सी प्रमाणित वाहनों में किया जाये, जिससे निर्धारित निर्गम स्थलों पर होने वाले फुगिटिव (Fugitive) उत्सर्जन को रोका जासके।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज निकासी सड़क को पक्का (WBM/Black top) बनाया जाये।
34. खनन कार्य प्रारंभ करने के पूर्व म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPPCB) से आवश्यक सहमति प्राप्त की जाये एवं MPPCB के निर्देश के अनुसार वायु/जल प्रदूषण नियंत्रण उपायो को स्थापित करें।
35. इनबिल्ट एपी.सी.डी और वाटर स्पिंकलिंग सिस्टम के साथ क्रेशर सड़क से न्यूनतम 100मी. दूर और बसाहट से 500 मीटर की दूरी, पर म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति के बाद ही फुगिटिव उत्सर्जन से बचने के उपयुक्त सामग्री की कम से कम 04 मी. ऊंची विंड ब्रेकिंग वॉल के साथ स्थापित किया जाये।
36. लोडिंग मशीनों की कार्य ऊंचाई बैंच कॉन्फिगरेशन के अनुसार युक्तिसंगत हो।
37. टोस कारतूस की जगह घोल मिश्रित विस्फोटक (SME) का उपयोग किया जाये।
38. ओवर बर्डन का पुनः उपयोग सड़क के रखरखाव के लिये किया जाये, परियोजना प्रस्तावक आई.बी.एम द्वारा अनुमोदित अंतिम क्लोजर प्लान का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।
39. क्षेत्र के सामाजिक उत्थान के लिये समुचित कार्य किये जाये एवं इसके लिये आरक्षित निधि का उपयोग ग्राम पंचायत/सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से किया जाये।
40. श्रमिकों का छह: मासिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाये एवं श्रमिकों को आवश्यक पी.पी.ई किट प्रदान किया जाये। तथा श्रमिकों/कर्मचारियों के लिये विश्राम आश्रय, प्राथमिक चिकित्सा, उचित अग्निशमन उपकरण और शौचालय (पुरुष और महिला के लिये अलग) जैसी अनिवार्य सुविधाएं भी प्रदान की जाये। खदान के कार्यालय/विश्राम गृह इत्यादि को सोलर लाईट द्वारा रोशन और हवादार किया जाये।
41. वित्तीय जवाबदेही के लिये परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईएमपी और सीईआर गतिविधियों में किये गये सभी व्यय के लिये एक अलग बैंक खाता रखा जाना जाये एवं इसका विवरण वार्षिक पर्यावरण विवरण में दिया जाये। यदि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये मेटिगेटिव उपायों के लिये आवंटित ई.एम.पी बजट का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका विवरण वार्षिक प्रतिवेदन में किया जाये।
42. कंभ से बचने के लिये ब्लास्टिंग के दौरान कोई ओवरचार्जिंग नहीं की जाये केवल मफल ब्लास्टिंग को ही अपनाया जाये। ब्लास्टिंग केवल प्रमाणित ब्लास्टर के माध्यम से की जाये और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना खदान स्थल पर विस्फोटक भंडारन न किया जाये।
43. खदान के पानी को खनन क्षेत्र से बाहर न छोड़ा जाये अपितु उसका उपयोग छिड़काव एवं वृक्षारोपण के लिये किया जाये। अपवाह और वर्षा जल के लिये उपयुक्त आकार के गारलैण्ड ड्रेन और सेटलिंग टैंक (SS Pattern) की व्यवस्था की जाये।
44. सभी गारलैण्ड ड्रेन को सेटलिंग पिट्स के माध्यम से सेटलिंग टैंक से जोड़ा जाये एवं बचे हुये पानी का उपयोग धूल दमन, हरित पट्टी विकास और लाभकारी संयंत्र (Beneficiation Plant) के लिये किया जाये। नालों और गड्ढों की गाद निकालने का कार्य नियमित रूप से किया जाये।
45. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEIAA/SEAC में जमा किये गये दस्तावेजों में विसंगति के लिये स्वयं जिम्मेदार होगा।
46. खनन पट्टा क्षेत्र में गड्ढें एवं भूमि के पुनरुद्धार की राशि का उपयोग खनन विभाग के माध्यम से किया जाये। खनन कार्य समाप्ति के उपरांत खदान के पुनरुद्धार के लिये खनन विभाग द्वारा अनुमानित उचित राशि को कलेक्टर के शासकीय कोष में जमा कराया जाये।
47. पट्टा क्षेत्र में किसी भी पेड़ को काटने/उखाड़ने से पहले वन विभाग एवं पानी की आवश्यकता/उपयोग हेतु ग्राम पंचायत की अनापत्ति (एन.ओ.सी.) प्राप्त की जाये।


(49)

48. ऐसे पट्टे जो वन क्षेत्र के 250मी. की परिधि के अंदर आ रहे हैं एवं परियोजना प्रस्तावक ने संभाग स्तरीय आयुक्त समिति से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, तो समिति द्वारा निर्धारित सभी शर्तों पालन सुनिश्चित किया जाये।
49. परियोजना में विस्तार या आधुनिकीकरण, प्रक्रिया और उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और प्रस्तावित खनन ईकाई में उत्पाद मिश्रण एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिये नवीन पर्यावरण स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
50. अस्थायी अनुज्ञा (TP) के प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता केवल टीपी की वैधता तक रहेगी एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान समापन योजना का पालन सुनिश्चित करना होगा।
51. सभी खदाने जहां उत्पादन > 50000 घन मीटर/वर्ष है, उनमें परियोजना प्रस्तावक बजट आवंटन के साथ पर्यावरण प्रबंधन परियोजना (ई.एम.पी) और कार्पोरेट इन्वायमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CER) में प्रस्तावित विभिन्न खनन संबंधी गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिये अपनी वेबसाइट विकसित करे एवं विभिन्न गतिविधियां जैसे गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टैंक, वृक्षारोपण, पानी के छिड़काव की व्यवस्था, परिवहन एवं सड़क को ठीक करना आदि का छमाही प्रगति प्रतिवेदन इस वेबसाइट एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी अपलोड करे एवं वेबसाइट के नियमित रख-रखाव एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी परियोजना प्रस्तावक या खनन प्रबंधक की होगी।
52. सभी प्रकार के मृदा खनन, की अधिकतम गहराई सामान्य जमीनी स्तर से 02 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य प्रावधान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ओ.एम नंबर एल-11011/47/2011-आईए-II (एम) दिनांक 24/06/2013 के अनुसार मान्य होगा।
53. खनन पट्टाधारक खनन कार्य को बंद करने के बाद खनन क्षेत्र और किसी भी अन्य क्षेत्र जो उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित हो सकते हैं, उनमें फिर से पुनः इस ऐसी स्थिति में बहाल करेंगे जो कि घास, वनस्पतियों इत्यादि के विकास के लिए उपयुक्त हो। इसके लिये, एम.ओ.ई.एफ. एंड.सी.सी के पत्र एफ. सं. 22-34/2018-आई.ए. III दिनांक 16/01/2020 अनुसार ई.एम.पी और सी.ई. आर अंतर्गत एक अलग बजट सुरक्षित करें।
54. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या Z-11013/57/2014-IA II (एम) दिनांक 29 अक्टूबर 2014 शीर्षक "आवासों पर खनन गतिविधियों का प्रभाव, खनन परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे, जिसमें बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्रों का हिस्सा हैं या बस्तियाँ और गाँव खदान पट्टा क्षेत्र से घिरे हुए हैं" में दिए गए मिटिगेटिव उपायों का पालन करेगा।
55. पत्राचार के पते में कोई भी परिवर्तन के लिये 30 दिनों के अंदर सभी नियामक प्राधिकरण को सूचित करेगा।
56. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार आवाजाही) नियम, 2016 के तहत यदि आवश्यक हो तो ऑथराईजेशन प्राप्त करेगा।
57. खदान में प्रवेश के समय परियोजना के संबंध में एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड निम्नलिखित विवरण के साथ लगाना अनिवार्य होगा :
 - खदान के मालिक का नाम ,संपर्क विवरण आदि।
 - परियोजना में खदान क्षेत्र का रकबा (हेक्टेयर में) आक्षांश देशांश सहित।
 - खदान की लंबाई, चौड़ाई एवं स्वीकृत गहराई ।
 - ईसी और एमपीपीसीबी की सहमति के अनुसार परियोजना की स्वीकृत उत्पादन क्षमता।
 - उत्खनन की विधि (मैनुअल/सैमी-मेकेनाईज्ड) ब्लास्टिंग अथवा नान ब्लास्टिंग
 - वृक्षारोपण एवं सी.ई.आर. गतिविधियां

- 58. ई.एम.पी के अंतर्गत प्रावधानित बजट अनुसार खदान के 7.5 मीटर बैरियर जोन में संघन वृक्षारोपण संबंधित सी.सी.एफ (सामाजिक वानिकी) के मार्गदर्शन अनुसार एवं डी.एफ.ओ/ग्राम पंचायत/कृषि विभाग या पर्याप्त विशेषज्ञता रखने वाली किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी से कार्य की अनुमति तथा वन विकास निगम/वन समिति जैसे वन रेंज अधिकारी की निगरानी में किया जाये।
- 59. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जमा की गई वृक्षारोपण योजना अनुसार खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में प्रस्तावित पूर्ण वृक्षारोपण किया जाये एवं फेन्सिंग के किनारों पर स्थानीय प्रजाति जैसे नीम, अरंडी बबूल, चिरूल आदि के बीज बोये जायें एवं वृक्षों की सुरक्षा एवं संरक्षण भी किया जाये।
- 60. पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए सतही मिट्टी का उपयोग किया जाए एवं पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई ओ.बी. डंप. (Over burden) न किया जाये। परियोजना प्रस्तावक को खनन कार्यों के शुरुआती तीन वर्षों में वृक्षारोपण गतिविधि पूर्ण करे एवं हताहत/मृत पौधों के प्रतिस्थापन सहित पूरे खनन जीवन के लिए उन्हें बनाए रखा जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण और करणीय प्रतिस्थापन के वार्षिक विवरण हेतु एक लॉग बुक रखी जाये एवं खनन कार्य के दौरान किसी भी वनस्पतियों, जीवों इत्यादि को कोई हानि न हो, इस हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाये। पी.पी. द्वारा वन भूमि में संभावित अतिरिक्त वृक्षारोपण वनमंडलाधिकारी के माध्यम से किया जाये एवं निर्धारित बजट भी वनमंडलाधिकारी को हस्तांतरित किया जाये।
- 61. संबंधित ग्राम क्षेत्र की सामुदायिक भूमि अथवा बंजर वन भूमि पर ग्राम पंचायत के माध्यम से स्थानीय मिश्रित प्रजातियां जैसे वार्षिक, बारहमासी घास/चारा, वृक्ष की प्रजातियाँ रोपित की जाये जिससे चरागाह विकसित हो सके एवं खनन कार्य के उपरांत इस विकसित चरागाह को ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाए।
- 62. पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले कम से कम 100 पौधे और अधिकतम वृक्षारोपण योजना अनुसार आस-पास के ग्रामीणों को चारा/देशी फल देने वाली प्रजातियों के पौधे सामाजिक वानिकी नर्सरी/सरकारी बागवानी नर्सरी से प्राप्त कर वितरित किए जाए। यह गतिविधि म.प्र. सरकार की "अंकुर योजना" के अंतर्गत "वायुदूत ऐप" पर व्यक्तिगत ग्रामीणों को पंजीकृत कर की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिन स्थानों पर औषधि वाटिका (Meditional Garden) प्रस्तावित है, उन स्थानों (स्कूल/आंगनवाड़ी प्रांगण) पर न्यूनतम 50 पौधे रोपित किये जाये एवं इस प्रकार विकसित किये जाये कि उनका सरवाइवल 80 प्रतिशत तक हो।
- 63. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपित पेड़-पौधों की सिंचाई हेतु पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाये।
- 64. बी-1 श्रेणी की परियोजनाओं में प्रस्तावित सी.ई.आर गतिविधियाँ जन सुनवाई के निष्कर्ष पर आधारित होने चाहिए एवं बी-2 श्रेणी की परियोजनाओं में स्थानीय आवश्यकता मूल्यांकन और ग्राम पंचायत वार्षिक कार्य योजना के आधार पर सी.ई.आर गतिविधि प्रस्तावित किया जाए।
- 65. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
 - (i) स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
 - (ii) विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
 - (iii) पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
 - (iv) पौधों की ऊँचाई/गोलाई -
 - (v) भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
 - (vi) रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		


(vii) बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

(ब) मानक शर्तें


1. परियोजना प्रस्तावक के ई-मेल विवरण के साथ वैध डाक का पता।
2. निगरानी में आसानी के लिए उत्खनन पट्टा क्षेत्र का जी.पी.एस समन्वय ई.सी में परिलक्षित होगा।
3. नियंत्रित ब्लास्टिंग तकनीक यदि आवश्यक हो केवल दिन के समय में ही की जाएगी।
4. उत्खनन कार्य स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। खनन योजना के किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में एसईआईएए द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी रद्द हो जाएगी।
5. वायु प्रदूषण से ग्रस्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों (उच्च स्तर के कण पदार्थ जैसे लोडिंग और अनलोडिंग पॉइंट और सभी ट्रांसफर पॉइंट) में प्रभावी सुरक्षा उपाय, जैसे कि नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए।
6. जहां खदान पहाड़ी इलाके में है और जहां पहाड़ी का कुछ हिस्सा पहले से ही उत्खनन के लिए काटा गया है, वहां आगे पहाड़ी की कटाई नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में, मौजूदा परिचालन क्षेत्र को गहरा करना अधिमानतः किया जा सकता है।
7. सभी विचाराधीन प्रस्तावों के लिए खनन कार्य से पूर्व खनन/राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर सटीक खनन क्षेत्र का संयुक्त रूप से सीमांकन किया जायेगा।
8. लीजधारक को परियोजना के लिए आवश्यक मात्रा में पानी (सतही जल और भूजल) की निकासी के लिए सक्षम अधिकारियों की आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
9. सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों की पार्किंग नहीं होनी चाहिए
10. आसपास की बस्तियों को खनन गतिविधियों के प्रभाव से बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये एवं जिन सड़कों माध्यम से गौण खनिजों का परिवहन किया जाये उनका नियमित रूप से रख रखाव/अनुरक्षण किया जाये।
11. मृदा अपरदन की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जाये।
12. गाद को जलाशयों में ले जाने से रोकने के लिए डंप के तल पर खाई/नालियों का निर्माण किया जाये।
13. परियोजना प्रस्तावक खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर और गारलैंड ड्रेन के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करेगा।

14. ऊपरी मिट्टी/टोस कचरे को उचित ढलान और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ ठीक से ढेर किया जाये और खनन क्षेत्र के पुनर्वास और पुनर्वास के लिए बैकफिलिंग (जहां लागू हो) के लिए उपयोग किया जाए।
15. वृक्षारोपण कार्यक्रम ई.एम.पी के अनुसार किया जाये। वनस्पतियों की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जाए एवं सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना पट्टे क्षेत्र में किसी भी पेड़ की कटाई नहीं की जाये।
16. खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त बाड़ों से ढका जाये ताकि परिवहन के दौरान कोई धूल कण/बारीक पदार्थ बाहर न निकल सकें।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।
18. धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण उपलब्ध कराए जाए एवं उन्हें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये।
19. स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए औषधालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति सरकार के संबंधित अधिकारियों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों, पंचायत और नगर निकायों के प्रमुखों, जैसा लागू हो को भी प्रदान की जाये।
21. मंत्रालय या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई और शर्त निर्धारित कर सकता है।
22. तथ्यात्मक डेटा को छुपाना या झूठे/गढ़े हुए डेटा प्रस्तुत करना और ऊपर उल्लेखित किसी भी शर्त का पालन न करने पर इस मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकती है।
23. पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ कोई भी अपील यदि आवश्यक हो, तो माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत, निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण से की जा सकती है।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला शहडोल (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला शहडोल (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला शहडोल (म.प्र.)
10. संबंधित फाईल।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shri. Mujebur
Rehman Khan
Member Secretary
Date: 4/6/2023 6:51:13 PM

53

FANNEYURE-13 104



Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Shahdol
Budhar Road,
Gortara, Pin-484001
Shahdol
Tele : 07652-231938

RED-SMALL	CTE-Fresh	CONSENT NO: ***	PCB ID: 154821
-----------	-----------	-----------------	----------------

Outward No:-16138, 19/05/2023
NO: /MPPCB/SDL

Consent No: CTE-112950
Dated: 19/05/2023

To,
M/s. Scons Infrastructure Private Limited (Stone Mines)
Village-Bhamraha-2, Tehsil-Beohari,
Dist : Shahdol,

Subject: Grant of Consent to Establish under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

Ref: 1. Your Application Consent to Establish Receipt No. 1275391 Dt. 17/05/2023 and last communication received on Dt. 17/05/2023
2. Environmental clearance issued by SEIAA, Bhopal (M.P.) by File no 9675/2023 dated 06 04. 2023.

Without prejudice to the powers of this Board under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and without reducing your responsibilities under the said Acts in any way, this is to inform you that this Board grants Consent to Establish for setting up of an industrial plant/activities at Village-Bhamraha-2, Tehsil-Beohari, District- Shahdol . . Phone No. 9599333735

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

- a. Location: Khasra no 775,777/2, 779/2, Rakwa 2.943 Hec., Village-Bhamraha-2, Tehsil-Beohari, Dist : Shahdol, Contact No. 9599333735
 - b. Mining area: 2.943 Hec.
 - c. Product & Production Capacity:
- | Product | Qty / year |
|---------------|----------------|
| Stone Boulder | 132017.000 MT3 |
- (One lakh thirty two Thousand seventeen cubic meter per year only)

Note-

- 1. PP shall deploy mist gan mounted on mobile tanker based upon pressurized water spray system for fugitive dust pollution control.
- 2. Blasting activities shall not be done within stipulated distance of 300 m from high voltage passing power grid line around mining area.
- 3. After completion of mining, PP shall level the mine out area by filling/leveling by waste material fly ash from TPPs as per fly ash management rules 2021.

The consent (for operation) as required shall be granted to your industry after fulfillment of all the conditions mentioned above. For this purpose you shall have to make an application to this Board in the prescribed proforma at least two months before the expected date of commissioning of your industry. The applicant shall not operate the unit without obtaining consent for operation from the Board and shall not bring in to use any out let for the discharge of effluent and gaseous emission.

Enclosures:-

- * Conditions under Water Act
- * Conditions under Air Act
- * General conditions

Signature Not Verified

Mining Officer, (Mining Section) Digitally Signed by S.K.MEHRA, S.E. Shahdol Dist. Shahdol (M.P.) for in

Date: 19/05/2023 09:27:02 PM

SANYEEN KUMAR MEHRA
Regional Officer

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 6SSA7EXU85



Consent Order

103

M.P. Pollution Control Board - Shahdol
Budhar Road,
Gortara, Pin-484001
Shahdol
Tele : 07652-231938

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of trade effluent at out fall of the unit shall not exceed 0.010 KL/day, and the daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.010 KL/day

2. Trade Effluent Treatment:-

The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0	TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.	Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.
BOD 3 Days 270C	Not exceed	30 mg/l.			
COD	Not exceed	250 mg/l.			
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.			

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD 3 Days 270C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 0.040	WWG : 0.020	Water Source	Remark
1	Plantation / Horticulture	0.000	0.000	Borewell	

4. Water meter preferably electromagnetic/ultrasonic type with digital flow recording facilities shall be installed separately for category wise consumption of water for Industrial cooling/boiler feed, mine spray, process & domestic purposes and data shall be submitted online through XGN monthly patrak/statements. The industry/unit shall also monitor the treated wastewater flow and report the same online through monthly patrak/statements.

5. Any change in production capacity, process, raw material used etc. and for any enhancement of the above prior permission of the Board shall be obtained. All authorized discharges shall be consistent with terms and conditions of this consent. Facility expansions, production increases or process modifications which result new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a fresh consent application for prior permission of the Board

6. All treatment/control facilities/systems installed or used by the applicant shall be regularly maintained in good working order and operate effectively/efficiently to achieve compliance of the terms and conditions of this consent

7. Compilation of Monitoring data-

i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.

ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

iii. The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

8. Recording of Monitoring Activities & Results-

i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.

ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

- (i) The date, exact place and time of sampling
- (ii) The dates on which analysis were performed
- (iii) Who performed the analysis?

Consent No:CTE-112950



Consent Order

102

M.P. Pollution Control Board - Shahdol
Sudhar Road,
Gortara, Pin-484001
Shahdol
Tele : 07652-231938

- (iv) The analytical techniques or methods used and
(v) The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.

iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

9. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

10. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations to natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

11. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

12. Disposal of Collected Solid waste/sludge-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water. Any live fish, Shell fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

13. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

14. Prohibition of By pass system of treatment facilities-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent is prohibited except :

- (i) Where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or
(ii) Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

15. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Consent No: CTF-112950

56



CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-
2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis. The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:
 - a. Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
 - b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
 - c. Sulphur Dioxide [SO₂] (24 hrs. Basis) - 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
 - d. Nitrogen Oxides [NO_x] (24 hrs. Basis) - 80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
 - e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.
4. All other fugitive emission sources such as leakages, seepages, spillages etc shall be ensured to be plugged or sealed or made airtight to avoid the public nuisance.
5. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.

Additional Air condition:- (if any)

1. PP shall not start mining activity without execution of lease agreement and shall submit a copy of the same to the board immediately.
2. The average depth of the pit shall not exceed as per mining plan.
3. Mine management shall maintain a 7.5 meter board strip as buffer zone within the lease area all along the ML boundary.
4. Mine management shall transport the material in covered vehicle and transportation shall not be carried out through forest area.
5. Mine management shall take preventive measures for protection and control of soil erosion. Mine management shall construct trenches/garland drains at foot of dumps to arrest silt from being carried to water bodies.
6. Top soil/solid waste shall be stacked properly with proper slop and adequate safeguards and shall be utilized for backfilling for reclamation and rehabilitation of mined out area.
7. Project proponent shall ensure appropriate arrangement for shelter and drinking water for the mine workers.
8. Controlled blasting techniques as and when required shall be carried out in the day time only.
9. Mine management shall comply with the conditions given in Environmental clearance given by SEIAA, Bhopal (M.P.) by File no 9675/2023 dated 06.04.2023
10. Mine management shall do the mining activity as per the approved mining plan.
11. Mine management fencing shall be done around mine area.

57



Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Shahdol
Budhar Road,
Gortara, Pin-484001
Shahdol
Tele : 07652-231938


100

GENERAL CONDITIONS:

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:
 - a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
 - b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
 - e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.
3. This consent / authorisation is transferable in nature, in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.
4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.
5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.
6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.
7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation
8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.
9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :
 - (a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
 - (b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
 - (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.
10. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

SANYEEV KUMAR MEHRA
Regional Officer



(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 65SA7DXU85

Consent No:CTE-112950





Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Shahdol
Budhar Road,
Gortara, Pin-484001
Shahdol
Tele : 07652-231938

RED-SMALL

CTE-Fresh

CONSENT NO: ***

PCB ID: 154856

Outward No:16139 23/05/2023
NO: /MPPCB/SDL

Consent No:CTE-112985
Dated: 19/05/2023

To,

M/s. Scons Infrastructure Private Limited (Stone Crusher)
Village- Bhamraha-2, Tehsil-Beohari,
Dist : Shahdol,

Subject: Grant of Consent to Establish under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 and under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref: Your application Consent to Establish A Receipt No. 1275495 Dt. 19/05/2023 and last communication received on Dt.19/05/2023

Without prejudice to the powers of this Board under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 and under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981 and without reducing your responsibilities under the said Acts in any way, this is to inform you that this Board grants Consent to Establish for setting up of an industrial plant/activities at Village- Bhamraha-2, Tehsil-Beohari, District- Shahdol . . Phone No. 9599333735

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

- Location: Khasra no 800/1/1/1, 800/1/1/2 Rakwa 1.214 Hec., Village- Bhamraha-2, Tehsil-Beohari, Dist : Shahdol
Contact No. 9599333735
- The capital investment in lakhs: Rs. 350
- Product & Production Capacity:

Product	Qty / year
Stone Gitti	132017.000 MT3 (One lakh thirty two Thousand seventeen cubic meter per year only)

Note-

- Industry shall obtain permission of Bhandaran from mining department.
- Industry shall provide modernized stationary canon gun/trolley mounted canon gun at least one on each direction apart from stationery sprinklers.
- Industry shall cover its jaw crusher from two sides in view of minimizing fugitive dust emission.

The consent (for operation) as required shall be granted to your industry after fulfillment of all the conditions mentioned above. For this purpose you shall have to make an application to this Board in the prescribed proforma at least two months before the expected date of commissioning of your industry. The applicant shall not operate the unit without obtaining consent for operation from the Board and shall not bring in to use any out let for the discharge of effluent and gaseous emission.

Enclosures:-

- * Conditions under Water Act
- * Conditions under Air Act
- * General conditions

CC to:-

1. Manager District Industries center Shahdol Dist. Shahdol (M.P.) for information.

Digitally signed by S.K. MEHRA, S.E.
Date: 23/05/2023 11:21:07 AM

(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # GDT7Y7T184

Signature Not Verified

Digitally Signed by :

S.K.MEHRA, S.E.

Date: 23/05/2023 11:21:07 AM

SANYEEV KUMAR MEHRA
Regional Officer

59



98

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of trade effluent at out fall of the unit shall not exceed 0.010 KL/day, and the daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 0.010 KL/day

2. Trade Effluent Treatment:-

The applicant shall provide comprehensive effluent treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0	TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.	Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.
BOD 3 Days 270C	Not exceed	30 mg/l.			
COD	Not exceed	250 mg/l.			
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.			

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide comprehensive sewage treatment system as per the proposal submitted to the Board and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 - 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD 3 Days 270C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 0.040	WWG : 0.020	Water Source	Remark
1	Others	0.000	0.000	Borewell	

4. Water meter preferably electromagnetic/ultrasonic type with digital flow recording facilities shall be installed separately for category wise consumption of water for Industrial cooling/boiler feed, mine spray, process & domestic purposes and data shall be submitted online through XGN monthly patrak/statements. The industry/unit shall also monitor the treated wastewater flow and report the same online through monthly patrak/statements.

5. Any change in production capacity, process, raw material used etc. and for any enhancement of the above prior permission of the Board shall be obtained. All authorized discharges shall be consistent with terms and conditions of this consent. Facility expansions, production increases or process modifications which result new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a fresh consent application for prior permission of the Board

6. All treatment/control facilities/systems installed or used by the applicant shall be regularly maintained in good working order and operate effectively/efficiently to achieve compliance of the terms and conditions of this consent

7. Compilation of Monitoring data-

- Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
- Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.
- The applicant shall take samples and measurement to meet the monthly requirements specified above and report online through XGN the same to the Board.

8. Recording of Monitoring Activities & Results-

- The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
- The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:
 - The date, exact place and time of sampling
 - The dates on which analysis were performed
 - Who performed the analysis?

Consent No: C TF-112985

60



Consent Order

97
M.P. Pollution Control Board - Shahdol
Budhar Road,
Gortara, Pin-484001
Shahdol
Tele : 07652-231938

(iv) The analytical techniques or methods used and

(v) The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.

iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

9. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

10. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to preclude the institution of any legal action nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

11. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

12. Disposal of Collected Solid waste/sludge-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludges, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water. Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

13. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

14. Prohibition of By pass system of treatment facilities-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent is prohibited except :

- i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or
- ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

15. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Consent No: CTE-112985

61



Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Shahdol
Budhar Road,
Gortara, Pin-484001
Shahdol
Tele : 07652-231938

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall provide comprehensive air pollution control system consisting of control equipments as per the proposal submitted to the Board with reference to generation of emission and same shall be operated & maintained continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards:-

2. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

- Particulate Matter (less than 10 micron) - $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
- Particulate Matter (less than 2.5 micron) - $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (PM2.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
- Sulphur Dioxide [SO₂] (24 hrs. Basis) - $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- Nitrogen Oxides [NO_x] (24 hrs. Basis) - $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - $2000 \mu\text{g}/\text{m}^3$

3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

4. All other fugitive emission sources such as leakages, seepages, spillages etc shall be ensured to be plugged or sealed or made airtight to avoid the public nuisance.

5. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.

Additional Air condition:- (if any)

- Industry shall have to implement the following pollution control measures as prescribed by EPA Notification GSR 742 dt 30-08-90
 - Dust containment cum suppression system including water spraying system for the equipment or unit/Air pollution control devices should be installed before commissioning of unit.
 - Construction of wind breaking walls of 15 ft height around the stone crusher.
 - Construction of chutes along with conveyor belt for containment of dust.
 - Construction of the metalled road with in the premises.
 - Regular cleaning and wetting of the ground with in the premises.
 - Growing of the green belt along the periphery
- The industry should install dust suppression system/water spraying system at all source of dust generation and along boundary wall for effective dust suppression in the premises.
- The suspended particulate matter contribution value at a distance of 10 meters from the unit should be less than $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (Six hundred microgram per cubic meter).

Consent No:CTE-112985

62



Consent Order

M.P. Pollution Control Board - Shahdol
Budhar Road,
Gortara, Pin-484001
Shahdol
Tele : 07652-231938

GENERAL CONDITIONS:

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:
 - a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
 - b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
 - e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.
3. This consent / authorisation is transferable in nature. in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.
4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.
5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.
6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.
7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation
8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.
9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :
 - (a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
 - (b) Obtaining this Consent by misrepresentation or failure to disclose fully all relevant facts.
 - (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.
10. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board

SANYEEV KUMAR MEHRA
Regional Officer

Consent No:CTE-112985

63

Digitally signed by Sanyeev Kumar Mehra

DN: cn=Sanyeev Kumar Mehra

Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)

TPAV # GDT7Y7T184

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल म.प्र.

क्रमांक 19/खनिज/2023/65

शहडोल, दिनांक 27 जनवरी, 2023

एकल प्रमाण पत्र

प्रति,

सदस्य/सचिव,
SEIAA पर्यावरण परिसर,
ई-5, अरेरा कालोनी भोपाल म.प्र.

विषय:- खनिज उत्खनन के पूर्व पर्यावरण अनुमति के लिए बिन्दु क्रमांक 1 से 7 के सत्यापन बाबत।

---000---

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 19/खनिज/2023/06 शहडोल दिनांक 06.01.2023 के द्वारा मेसर्स स्कॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड प्रो. शिवकुमार बंसूल निवासी प्लॉट नम्बर 251 सूर्योदय अपार्टमेंट पाकेट -8 सेक्टर-12 द्वारका नई दिल्ली को ग्राम भनरहा द्वितीय तहसील ब्यौहारी के खसरा क्रमांक 775, 777/2, 779/2 रकबा 2.943 हे. पर खनिज पत्थर के अस्थाई अनुज्ञा हेतु पर्यावरणीय अनुमति के लिए बिन्दु क्रमांक 01 से 07 की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	जिला - शहडोल	ब्यौहारी विवरण (यदि हों हे तो संपूर्ण विवरण दें)
1.	यदि उत्खनि पट्टा/खनि पट्टा से 10 कि.मी. की दूरी में टाईगर रिजर्व/ घोषित जैव विविधता क्षेत्र/ नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य/भारत/ सरकार/ द्वारा अधिसूचित ईको सेसेटिव जोन स्थित है तो उक्त अधिसूचित ईको सेसेटिव जोन से प्रस्तावित परियोजना स्थल की दूरी स्पष्ट करेंगे और नहीं होने की स्थिति में यह भी स्पष्ट करेंगे कि ऐसा कोई क्षेत्र 10 कि.मी. की दूरी में नहीं है। (संबंधित क्षेत्र संचालक द्वारा अभिप्रमाणित)	शहडोल	वनमण्डलाधिकारी वन मण्डल उत्तर जिला शहडोल के द्वारा पत्र क्रमांक/मा.चि./2022/6237 शहडोल दिनांक 08.12.2022 निर्धारित प्रपत्र में दी गई जानकारी अनुसार :- 1. 10 कि.मी. की दूरी में कोई नेशनल पार्क स्थिति नहीं है। 2. सोन घडियाल अभ्यारण लगभग 08 कि.मी. की दूरी में स्थित है। 3. 10 कि.मी. की परिधि में कोई घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थिति नहीं है।
2.	उत्खनि पट्टा/खनि पट्टे में यह भी स्पष्ट करेंगे कि उस खनि पट्टे से वन क्षेत्र कितनी दूर है और यदि वह 250 मीटर के अन्दर है तो संभागीय आयुक्त की समिति से अनुमति प्राप्त करेंगे?	शहडोल	ग्राम भनरहा द्वितीय तहसील ब्यौहारी के खसरा क्रमांक 775, 777/2, 779/2 रकबा 2.543 क्षेत्र पर खनिज पत्थर के अस्थाई अनुज्ञा खदान से वन कक्षा क्रमांक 32 से 350 मीटर दूरी पर स्थित है।
3.	10 कि.मी. की परिधि में कोई अंतर्राज्यीय सीमा स्थित है?	शहडोल	10 कि.मी. की परिधि में कोई अंतर्राज्यीय सीमा स्थित नहीं है।
4.	उत्खनि पट्टा/खनि पट्टा से 500 मीटर की दूरी पर यदि कोई मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/ चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक / सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि?	शहडोल	तहसीलदार, ब्यौहारी जिला शहडोल के पत्र क्रमांक 495/खनि/प्रवा./2022 ब्यौहारी दिनांक 28.11.2022 द्वारा आवेदित क्षेत्र के संबंध में मानव बसाहट/ शैक्षणिक संस्था/ चिकित्सालय/ पुरातत्व धरोहर/ राष्ट्रीय महत्व के स्मारक/ सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग संवेदनशील क्षेत्रों जैसे रेडियो स्टेशन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान इत्यादि नहीं है।
5.	500 मीटर के अन्दर कोई जलीय निकाय / नदी / तालाब/ नहर/बांध/ स्टांप डैम/ग्रामीण कच्चा रास्ता/ पक्का रास्ता/ नाला स्थित हो तो उसकी दूरी?	शहडोल	आवेदित क्षेत्र से तालाब/नहर/बांध /स्टॉप डैम/ ग्रामीण कच्चा रास्ता/ पक्का रास्ता 500 मीटर की परिधि में नहीं है।
6.	स्वीकृत उत्खनि पट्टा/खनि पट्टा के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत उत्खनि पट्टा/खनि पट्टा की जानकारी एवं उसका क्षेत्रफल ?	शहडोल	स्वीकृत प्रश्नाधीन क्षेत्र के 500 की परिधि में 1.350 हे. क्षेत्र पर खनिज पत्थर खदान (क्रेशर आधारित) उत्खनिपट्टा स्थित है।
7.	रेत उत्खनन के प्रकरण में नदी का नाम	शहडोल	--

पु क्रमांक 19/खनिज/2023/65

प्रतिलिपि:-


परियोजना प्रस्तावक की ओर पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला शहडोल म.प्र.
शहडोल, दिनांक 27 जनवरी, 2023

कलेक्टर
जिला शहडोल म.प्र.

64

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh



Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code: 01013721102022011333
 Total E-Stamp Amount: 1000
 Govt. Stamp Duty (Rs.): 1000
 Janpad Duty (Rs.): 0
 Exempted Amount (Rs.): 0
 Municipality Duty (Rs.): 0
 Upkar Amount (Rs.): 0
 E-Stamp Type: NON-JUDICIAL
 Issue Date & Time: 21/10/2022 15:36:53
 Service Provider or Issuer Details: Anil Kumar Tiwari/SP013741006201600124
 SP/SRO/DRO/HO Details: Ward No 13 Beohari Shahdol MP thasil office beohari BEOHARI SHAHDOL

Deed Details


Deed Type: Letter of Guarantee
 Deed Instrument: Letter of Guarantee - One Thousand rupees.
 Purpose: अनुबंध पत्र

First Party Details

Name: नंदलाल गोड S/O D/O W/O C/O मुखनदन गोड
 Address: निवासी ग्राम बोकरी तहसील बोहारी जिला सहडोल MP 491000 SHAHDOL Madhya Pradesh INDIA
 Number of Persons: 1

Second Party Details


Organization Name: SCONS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
 Address: SCONS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED HOUSE NO 362 ROHIT NAGAR PHASE-2 BAWARIA KALAN TEHSIL HUZUR BHOPAL BHOPAL Madhya Pradesh INDIA
 Number of Persons: 1



[Handwritten signatures and text, partially illegible]

Digitally signed by ANIL KUMAR TIWARI
 Date: 2022.10.21 15:37:01
 IST

[Handwritten signature]





निश्चित रकम चुकाये जाने के नमूने प्रारंभिक क्र. 01/13721102/2011
238

अनुबंध-पत्र

प्रथमपक्ष:- नंदलाल गोड पिता सुखनंदन गोड, , वर्ग पिछड़ा, आयु- 42 वर्ष, निवासी ग्राम बोकरी, थाना देवलौद तहसील ब्योहारी, जिला-शहडोल म0प्र0, आधार कार्ड क्रमांक-

द्वितीयपक्ष:- फर्म SCONS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED HOUSE NO-362 ROHIT NAGAR PHASE-2 BAWARIA KALAN TEHSIL HUZUR BHOPAL, फर्म पेन कार्ड नं.0 ABICS3286 L. द्वारा शिव कुमार बंसल(डायरेक्टर) Pan No.AFAPB2988K

अनुबंध-पत्र की अन्तर्वस्तु निम्नलिखित है :-

1. यह कि - ग्राम भमरहा - 2, पटवारी हल्का भमरहा द्वितीय, राजस्व निरीक्षक मण्डल खाड, थाना व तहसील ब्योहारी, जिला शहडोल म0प्र0 स्थित आराजी खसरा नं0- 777/2 रकवा 0.542हे0 एवं 779/2 रकवा 1.104हे0 के भू-स्वामी अभिलेख मुझ प्रथमपक्ष के नाम से स्वतंत्र भूमि स्वामी के रूप दर्ज राजस्व अभिलेख है, जिस पर मैं प्रथमपक्ष अपने उक्त आराजी पर स्वतंत्र रूप से काबिज दाखिल हूँ। उक्त आराजियो पर अन्य किसी भी व्यक्ति, समूह या संस्था का किसी भी प्रकार से कोई स्वत्व व अधिपत्य नहीं है, और न ही उक्त आराजी पूर्व से अन्य किसी भी व्यक्ति समूह या संस्था के हक में रहन गहन बेंची बकशीश जमानत बंधक इत्यादि है, यानि उक्त आराजी हर प्रकार से पाक साफ व पवित्र है।

16/02/2022

2. यह कि - प्रथमपक्ष को अपने निजी आवश्यकता से रूपयों की जरूरत है, इस लिये मैं प्रथमपक्ष अपनी ग्राम भमरहा - 2, पटवारी हल्का भमरहा द्वितीय, राजस्व निरीक्षक मण्डल खाड, थाना व तहसील ब्योहारी, जिला शहडोल म0प्र0 स्थित आराजी खसरा नं0-777/2 रकवा 0.542हे0 एवं 779/2 रकवा 1.104हे0 का जुज रकवा 0.696 हे0 को प्रतिफल मालियती-रूपये 300000/- (रूपये तीन लाख रूपये) वार्षिक में उक्त द्वितीयपक्ष को पत्थर खदान एवं केशर लगाने के लिये अनुबंध आज दिनांक-21.10.2022 को कर रहा हूँ, तथा उक्त अनुबंध मध्ये बतौर अग्रिम राशि के रूप में-रूपये 30,00,00/- (तीन लाख रूपये मात्र) आज अनुबंध दिनांक को ही बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त कर लिया है तथा अनुबंध कि राशि एक वर्ष पूर्ण होने पर पुनः द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को बैंक खाते के माध्यम से अदा करेगा

3. यह कि द्वितीय पक्ष अनुबंधित भूमि में पत्थर खदान की लीज सरकार से प्राप्त कर खनन करने एवं केशर लगाते के लिये स्वतंत्र रहेगा एवं पत्थर खदान की लीज व अनुबंध समाप्त होने के पश्चात, द्वितीय पक्ष की जिम्मेदारी होगी कि किसी भी प्रकार का कोई भी सरकार का राजस्व बकाया नहीं होना चाहिए एवं खनिज विभाग से बकाया नहीं प्रमाण पत्र प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायेगा। यदि सरकार के द्वारा अनुबंध अवधि के अन्दर की किसी प्रकार की बसूली आती है तो द्वितीय पक्ष अदा करने के लिये बाध्य होगा।

4. यह कि अनुबंध पत्र कि अवधि दो वर्ष के लिये मान्य होगी अर्थात दिनांक 20/10/24 होगी, तथा, द्वितीय पक्ष को आवश्यकता होने पर अनुबंध पत्र की अवधि इसी दर बढ़ाई जा सकती है।

5. यह कि- उक्त अनुबंध-पत्र में उल्लिखित शर्तों का उभयपक्ष पालन करेंगे, तथा यदि किसी भी तरह द्वारा अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो जीहित पक्ष

को यह अधिकार होगा कि वह सक्षम न्यायालय में वाद दायर का राहत प्राप्त कर लेवे। यह अनुबंध-पत्र उभयपक्षों के वारिसों एवं उत्तराधिकारियों पर भी बाध्यकारी रहेंगा।

अस्तु आज दिनांक को यह अनुबंध-पत्र उभयपक्षों के द्वारा अपने पूर्ण होसों हवास में बिना किसी भी भय दबाव या लालच के तहरीर कराकर, पूरी तहरीर अच्छी तरह से पढ सुन समझकर स्वीकार करते हुये अपने अपने हस्ताक्षर कर, विधिवत नोटरी से नोटराइज्ड करा दिया ताकि सनद रहे वक्त पर काम आवे।

दिनांक-21/10/2022

हस्ता० गवाहान :-


1. 
 विनोद कुमार
 पिता श्री ० के ०
 ०० नॉटरी पब्लिक ००
2. 
 विनोद कुमार
 ०० नॉटरी पब्लिक ००

हस्ता० प्रथमपक्ष/विकता

हस्ता० द्वितीयपक्ष/कता

ATTESTED BY

 नॉटरी पब्लिक
 नॉटरी
 नॉटरी पब्लिक, नॉटरी (पु)



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
खसरा


प्रारूप एक (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-संशोधन तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

C.I.R.No. : 11043275515

शान्त संसदा -2 भूमि की पान की सूचिका आईडी	भू- खण्ड संख्याक (खंडक की दशा में)	पटवारी हस्ता: पसरहा द्वितीय 1. भूमिस्वामी का नाम, उसकी माता /पिता / पति का नाम तथा निवास का पता 2. आसकीय भूमि	प्रत्येक भूमि स्वामी का अंश	तहसील: बोंहारी 1. सरकारी पट्टेदार का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता 2. पट्टे की अवधि 3. पट्टे के अधीन क्षेत्र	बोली क्रमक (बाटे कोई हो) का नाम, उसकी माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विक्रयन तथा प्राप्ति 1. अंशक 2. दृष्टिकोण 3. भू-अर्जन प्रक्रियाधीन	जिला: महडोल		वर्ष: 2022-2023		
							फसल के ब्यारे	फसल के अधीन क्षेत्रफल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141601 9795	777/2 (S)	0.5420 हेक्टर	वन्दलाल गौड पुत्र सुखन्दन गौड पता बोंहारी महडोल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी आके	1							अन्य व्यवसायिक प्रयोजन 0.5420 नामा0 फीजो क्र0 4 आदेश दिनांक 12-7-11 को श्री मान तहसीलदार महोदय द्वारा रजिस्ट्री नामा0 स्वीकृत
		रुपि	₹ 0.00								

(Handwritten signature)



मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख

खसरा

प्रथम चक्र (नियम 6 देखिए)

मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (पूर-संशोधन तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

CLR No. : 11043275064

ग्राम: पनरहा - 2	भूमि के भाग का शैक्षिक आईडी	भूमि के भाग का (सर्वेक्षण संख्या/खंडों/संख्या)	भू-लाप्ट संख्या (खंडों/खंडों/संख्या)	पटवारी हल्का: पनरहा द्वितीय	पटवारी स्वामी का नाम, उसकी माता/पिता / पति का नाम तथा निवास का पता	प्रत्येक भूमि स्वामी का श्रम	तहसील ब्यांजरी	नोबो कृषक (यदि कोई हो) का नाम, जमाती, माता/पिता/पति का नाम तथा निवास का पता	भूमि पर विहंगम तथा प्रचार	जिला: ग्वाल्हेर		वर्ष: 2022-2023
										फसल के ब्यारे	फसल के अधीन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
141633 9977	779/2 (S)		1-1040 हेक्टर कृषि ₹ 0.00	नरलाल गौड़ पुत्र सुखनंदन गौड़ पता: बीकरी शहडोल मध्य प्रदेश भूमि स्वामी ओके							अन्य व्यवसायिक प्रयोजन 1.1040 हेवाला तथा नं० 777/2 में दर्ज है	

70

मध्य प्रदेश कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेख
भाग 10 - II
खसरा

की. एल. आर. नं. 11043347784

क्रमांक	शान्तिपत्र संख्या - 2	रजका : पुराण इतिहास		रा. नि. नं. : खंड	तहसील : खोहारी	जिला : गण्डोल		वर्ष: 2002-2003	खतों के बाहर के भूखंडों में बाई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल			
		कब्जदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी पुंभिल्लागी या पड़वार का या किसी नृसिद्धी कारिदार के उस पड़वार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उपर्युक्त पर दिए गये पाण का क्षेत्रफल			पड़ती का क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
775	1.7000	जैकसन पिता विजोसर जाति गोलड पता सा. देह भूमि स्वामी										



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

लीज डीज का इस्कार नामा

लीज अवधि 7 वर्ष

प्रथमपक्ष/लीजकर्तागण-

1- रामभजन गोंड पिता जयकरण सिंह गोंड आयु 66 वर्ष
पहचान आधार कार्ड क्र० 9210 9953 3725 मो०नं० 9179599958

2- मुन्ना गोंड पिता जयकरण सिंह गोंड आयु 54 वर्ष
पहचान आधार कार्ड क्र० 5806 5739 4575, मो०नं० 9179599958

3- नन्दलाल सिंह गोंड पिता जयकरण सिंह गोंड आयु 47 वर्ष
पहचान आधार कार्ड क्र० 2771 3200 3050, मो०नं० 9179599958

तीनों निवासी ग्राम भमरहा विन्तेश, थाना व तहसील ब्याहारी, जिला शहडोल, म०प्र० । (अनुसूचित जन जाति)

4- शांती बाई पुत्री जयकरण सिंह गोंड पति श्री संतोष गोंड आयु 45 वर्ष, निवासी ग्राम करही, पो० भोलहरा, थाना व तहसील ब्याहारी, जिला शहडोल, म०प्र० । (अनुसूचित जन जाति)
पहचान आधार कार्ड क्र० 5872 2660 1027, मो०नं० 9179599958

द्वितीयपक्ष-


एलकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० हाउस नं० 362 रोहित नगर फेज 2 बाबरिया कला
तहसील हुजूर भोपाल, म०प्र० 462026 फेल कार्ड नं० ABICS3288L

द्वारा डॉक्टर - शिवकुमार वसल पिता स्व०श्री नितन लाल वसल आयु 44 वर्ष
निवासी प्लेट नं० बी 703 सिंग वेंली आप्पतमेंट ज्वाट नं० 3सी, सेक्टर 11 इंदौर
दिल्ली- 110075

1263
शांति 2023

श्री. व. वि.
श्री. वि.
श्री. वि.

भारतीय पत्र-पत्रिका
एक सौ रुपये



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BU 044994

-2-

1- यह कि ग्राम भमरहा द्वितीय, पट0ह0 भमरहा द्वितीय नं0 43, तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल, म0प्र0 स्थित आराजी ख0न0 775 रकवा 1-700 हे0 भूमि हम प्रथमपक्षगण / लीजकर्तागण की पैत्रिक व पुस्तनी आराजी है, जो हम प्रथमपक्षगणों को फौती वारिसाना नामान्तरण से प्राप्त होकर, हम प्रथमपक्षगण के नाम पर राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से हक अंकित है। जिस पर हम प्रथमपक्षगणों के से काबिज दखील चले आ रहे हैं। उक्त भूमि किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति विशेष को या किसी द्वितीय संस्था में गहन, रहन या बंधक नहीं है। हर तरह से पाक साफ व पवित्र है।

2- यह कि हम प्रथमपक्षगण सभी लोग आपसी सहमति से बिना भय दबाव के अपनी उक्त भूमि ख0न0 775 के पूरे रकवे 1-700 हे0 का प्रतिफल कुल 17,00,000/-00र0 (सत्रह लाख र0) सात वर्षों का द्वितीयपक्ष से अग्रिम प्राप्त कर लिये हैं। इसमें द्वितीयपक्ष को सडक निर्माण हेतु पत्थर, मुरुम निकालने एवं स्टोन केशर स्थापित करने हेतु, सडक निर्माण अवधि 07 साल (सात साल) यानी 21/10/2022 से 20/10/2029 तक के लिए दिया जा रहा है। इस लीज अवधि 7 वर्षों के बीज प्रथमपक्षगण का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं होगा, और प्रथमपक्षगण द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।

3- यह कि सात वर्षों बाद उक्त भूमि का स्वामित्व द्वितीयपक्ष के स्टारा, हम प्रथमपक्षगण को शासकीय राजस्व व माइनिंग की समस्त जिम्मेदारी का द्वितीयपक्ष जवाब देह होगा, एवं उक्त स्वामित्व यथा स्थिति अर्थात जो सात सालों के बाद भूमि को जो स्थिति होगी इसी स्थिति पर अपना स्वामित्व स्वीकार कर लेंगे।

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large blue checkmark and a circled number 73.

73

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BU 044995

-3-

लीज में दी जा रही सुपत्तिल की चतुरसीमा निम्न है :-
 उत्तर दिशा में - नन्दलाल गोंड की आराजी
 दक्षिण दिशा में - रामेश्वर ब्रा० की आराजी
 पूर्व दिशा में - प्रेमलाल सिंह गोंड की आराजी
 पश्चिम दिशा में - अभिषेक गोयल की खदान एवं केशव

यह कि दस्तावेज में सभी तथ्य लीजकर्ता एवं लीज गृहीता के द्वारा उपलब्ध कराये दस्तावेज एवं जानकारी के आधार पर मेरे द्वारा दस्तावेज तैयार किया गया है, तथा दस्तावेज में किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है, लीज में यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो लीजकर्ता एवं लीज गृहीता की समस्त जबाबदारी होगी, तथा निम्न दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष लीजकर्ता एवं लीज गृहीता ने उक्त दस्तावेज के काम्प्यूटर टंकण से संतुष्ट होकर पढ़कर, सुनकर, समझकर, स्वीकार करते हुये, लीज/पट्टा को नोटरी अधिवक्ता के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं अपने-अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशान किए

दिनांक 21/10/2022

हस्ताक्षर गवाहान

1- ~~बसोबत सिंह~~ ~~रावबहादुर~~
 नाम - ~~बसोबत सिंह~~ ~~रावबहादुर~~

अंगूठा - ~~31784035~~ ~~3054~~

2- ~~सहजराज~~ ~~रावबहादुर~~

अंगूठा - ~~52~~ ~~नाम~~ ~~नाम~~ ~~नाम~~ हस्ताक्षर द्वितीयपक्षा/किरायेदार

~~सहजराज~~ ~~रावबहादुर~~

अंगूठा - 50873180 3895

21/10/2022

सहजराज रावबहादुर

सहजराज रावबहादुर

सहजराज रावबहादुर

सहजराज रावबहादुर

दिनांक - 21/10/2022

लीज का डकलान्त

सहजराज रावबहादुर

सहजराज रावबहादुर

सहजराज रावबहादुर

दिनांक - 21/10/2022

74



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

400/220 kV रीवा वृद्धि उपकेंद्र ग्राम-भरनीला देश तहसील-गुड रीवा-486553

400/220 kV Rewa Proling Sub-Station Vill-Barsola Dist Teh-Guh Rewa-486553

ईमेल: pgr@pgr.co.in, pgr@pgr.com, pgr@pgr.com, मो. 09423409384/09423409384/09423409384

CIN: L40301DL1989G0001171

सन्दर्भ क्रमांक: प. अ. टी. एस. एम. 3374-

दिनांक: 28.12.2022

✓

श्रीमान कामलेश वासेकर (स्थानिक शाखा)

कार्यालय: शहडोल

जिला: शहडोल (मध्य प्रदेश)

विषय: पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ब्योहारी तहसील के ग्राम-भरनीला में 765 के० वी० विन्ध्याचल-सतना #1 तथा परिषद#2 पारेषण लाइनों के समीप अवैध उत्खनन के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाई हेतु -

सहोदय,

पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम) जो कि भारत सरकार की महारत्ना कंपनी है, जिसके तहत उच्च वोल्टता पर राष्ट्रीय विद्युत् ग्रिड का सञ्चालन किया जा रहा है। पावरग्रिड द्वारा पारेषण लाइनों का निर्माण एवं संचरण-संभरण कार्य भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, विद्युत् अधिनियम 2003 एवं सम्बंधित जारी किये गए संशोधन के अधीन किया जाता है।

श्रीमान अवगत हो कि पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की 765 के० वी० विन्ध्याचल-सतना #1 तथा परिषद#2 पारेषण लाइने ब्योहारी तहसील के ग्राम-भरनीला से होकर गुजरती है। जिसका अनुरक्षण कार्य पावरग्रिड रीवा कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। दिनांक: 21.12.2022 के पत्र द्वारा ग्राम-भरनीला के ग्रामीणों द्वारा पावरग्रिड को यह अवगत कराया कि कुछ लोगों के द्वारा टावर लाइन के स्नीप ब्लास्टिंग द्वारा उत्खनन कार्य किया जा रहा है। (ग्रामीणों द्वारा पावरग्रिड को लिखित पत्र संलग्नक-क)

पावरग्रिड रीवा द्वारा निरीक्षण किया गया तथा GOOGLE EARTH पर उत्खनन साइट का विवरण उल्लेखित किया गया जो इस प्रकार है -

1. टावर संख्या 1 और टावर संख्या 2 के बीच खींचे गए तारों से ब्लास्टिंग द्वारा उत्खनन साइट-1 की दूरी सिर्फ 14 मीटर है।
2. टावर संख्या 2 और टावर संख्या 3 के बीच खींचे गए तारों से ब्लास्टिंग द्वारा उत्खनन साइट-2 की दूरी सिर्फ 74 मीटर और साइट-3 की दूरी सिर्फ 119 मीटर है।
3. टावर संख्या 5 और टावर संख्या 6 के बीच खींचे गए तारों से ब्लास्टिंग द्वारा उत्खनन साइट-2 की दूरी सिर्फ 191 मीटर है।

भारत के राजपत्र द्वारा प्रकाशित-केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार अधिसूचना, 20 सितम्बर 2010, CEA रेगुलेशन खंड-IV के उपखंड संख्या-65 (2) के अनुसार 650 वोल्ट से ज्यादा की पावर लाइन से 300 मीटर की दूरी तक बिना ओनर (पावरग्रिड) के अनुमति के ब्लास्टिंग नहीं किया जा सकता। यदि खदान एरिया लीज पर आवंटित की गयी है तो खनिज इंस्पेक्टर की अनुमति के बिना ब्लास्टिंग नहीं किया जाना है। उक्त दस्तावेज संलग्नक 'ग' है। इस सन्दर्भ में ब्लास्टिंग द्वारा उत्खनन किये जा रहे साइटों की दूरी पावरलाइन से बहुत ही कम है।

वर्तमान स्थिति में यह पाया गया कि पारेषण लाइनों के समीप ब्लास्टिंग द्वारा उत्खनन कार्य प्रगति पर है, जिसकी वजह से पावरग्रिड के पारेषण लाइनों के क्षतिग्रस्त एवं टावर गिरने का खतरा बना हुआ है। अतः MINING की वजह से उत्पन्न किसी भी दुर्घटना से यह आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है, जिससे राष्ट्र को हानि होगी।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उर्ध्वलिखित तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए उत्खनन कर रहे लोगों/कंपनियों पर त्वरित कार्यवाई करने की कृपा करें, ताकि उक्त पारेषण लाइनों की निरंतरता सुनिश्चित रहे।

आपका शुभाकांक्षी!

प्रतिलिपि-

1. अनुविभागीय अधिकारी, ब्योहारी
2. तहसीलदार, ब्योहारी

पावरग्रिड के लिए एन की ओर से

मुख्य प्रबंधक

पावरग्रिड कार्यालय, रीवा

क्षेत्रीय मुख्यालय: प्लॉट नं. 34, रीवा-रेवती रिजॉर्ट के पास, सया-सावली रोड, वडोदरा - 390 008 (गुजरात) -

Regional Head Office: Plot no.-34, Adjacent to Miy-Rewati Resort Sams-Savli Road, Vadodra - 390 008 (Gujarat)

दूरभाष: /Phone: (0) 0265-2 387541, फैक्स: /Fax: 0265-2487544

पंजीकृत कार्यालय: बी-5, कुतब इंस्टीटयुशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली - 110 016

Registered Office: B-5, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi - 110 016

75



क्षेत्रीय कार्यालय

ANNEXURE-18

93
आजादी का
अमृत महोत्सव

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

बाई पास चौक, गोरतरा, बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)

Tel./Fax (07652) 248938 / E mail : mpeshahadol@gmail.com

क्रमांक 225 /क्षेका/प्रनिबो/शहडोल/2023
प्रति,

शहडोल, दिनांक 27/04/2023

मेसर्स स्कॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (स्टोन केशर),
डायरेक्टर श्री शिव कुमार बंसल,
ग्राम-भमरहा-2, तहसील-ब्यौहारी,
जिला-शहडोल (म.प्र.)

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत सम्मति तथा परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त कराने बावत् नोटिस।

---000---

यह कि, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 04 के अंतर्गत हुआ है, साथ ही वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के उत्तरदायित्व का भी निर्वहन कर रहा है।

यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से उत्पादन सम्मति प्राप्त करना एवं सम्मति में उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 एवं संस्थान से उत्पन्न हो रहे खतरनाक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम 2016 के प्रावधानों के तहत प्राधिकार प्राप्त किये बिना ग्राम-भमरहा-2, तहसील-ब्यौहारी, जिला-शहडोल (म.प्र.) में मेसर्स स्कॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., स्टोन केशर अवैधानिक रूप से संचालित किया जा रहा है।

विशेष रूप से उल्लेखनीय है, कि बोर्ड की बगैर उत्पादन सम्मति प्राप्त किये स्टोन केशर संचालन करना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है, कि स्टोन केशर के स्थापना/संचालन हेतु प्राधिकार/सम्मति प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित अविलम्ब ऑनलाईन आवेदन करें एवं विधिवत् सम्मति/ प्राधिकार प्राप्त कर ही स्टोन केशर का उत्पादन/संचालन जारी रखें।

निर्धारित समयावधि में आपका प्रति उत्तर प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार एवं प्रक्रियानुसार आपके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जा सकता है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

पत्र की प्राप्ति से अभिस्वीकृत करायें।

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जिला-शहडोल (म.प्र.)

76



क्षेत्रीय कार्यालय

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

बाई पास चौक, गोरतरा, बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)

Tel./Fax [07652] 248938 / E mail : ropebshahadol@gmail.com



क्रमांक 225 A /क्षेका/प्रनिबो/शहडोल/2023
प्रति,

शहडोल, दिनांक 27/10/2023

मेसर्स स्कॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (स्टोन माइंस),
डायरेक्टर श्री शिव कुमार बंसल,
ग्राम-भगरहा-2, तहसील-ब्यौहारी,
जिला-शहडोल (म.प्र.)

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत सम्मति प्राप्त कराने बावत् नोटिस।

---000---

यह कि, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 04 के अंतर्गत हुआ है, साथ ही वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के उत्तरदायित्व का भी निर्वहन कर रहा है।

यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग/माइंस को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से उत्पादन सम्मति प्राप्त करना एवं सम्मति में उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा ग्राम-भगरहा-2, तहसील-ब्यौहारी, जिला-शहडोल (म.प्र.) के खसरा क्रमांक 775 एवं 777/2 तथा 779/2 रकबा 2.943 हेक्टेयर में मेसर्स स्कॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड स्टोन माइंस, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत सम्मति प्राप्त किये बिना अवैधानिक रूप से संचालित है।

स्मरण रहे कि बोर्ड की बगैर उत्पादन सम्मति प्राप्त किये स्टोन माइंस संचालन करना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है।

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है, कि स्टोन माइंस के स्थापना/संचालन सम्मति प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित अविलम्ब ऑनलाईन आवेदन करें एवं विधिवत् सम्मति प्राप्त कर ही स्टोन माइंस का उत्पादन/संचालन जारी रखें।

निर्धारित समयावधि में आपका प्रति उत्तर प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार एवं प्रक्रियानुसार आपके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जा सकता है। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

पत्र की प्राप्ति से अभिस्वीकृत करायें।

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जिला-शहडोल (म.प्र.)



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बाई पास चौक, गोरतरा, बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)

Tel./Fax (07652) 248988 / E mail : ropebshahadol@gmail.com

कमांक 270 /क्षेका/प्रनिबो/शहडोल/2023
प्रति,

शहडोल, दिनांक 1/5/2023

मेसर्स स्कॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (स्टोन केशर),
डायरेक्टर श्री शिव कुमार बसल,
ग्राम-भमरहा-2, तहसील-ब्यौहारी,
जिला-शहडोल (म.प्र.)

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 "क" के तहत नोटिस।

संदर्भ:-इस कार्यालय का पत्र कमांक 225 दिनांक 27.04.2023

---000---

1. यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के तहत म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है एवं बोर्ड के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के दायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
1. यह कि, मेसर्स स्कॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. स्टोन केशर, डायरेक्टर श्री शिव कुमार बसल, खसरा नं. 800/1/1/1, 800/1/1/2, रकवा 1.214 हेक्टेयर, ग्राम-भमरहा-2, तहसील-ब्यौहारी, जिला-शहडोल (म.प्र.) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों की सतत अवहेलना करते हुए संचालित किया जा रहा है। स्टोन केशर द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत स्थापना सम्मति तथा संचालन सम्मति प्राप्त किया जाना आवश्यक था, जोकि नहीं किया गया है। आपके द्वारा अवैधानिक रूप से केशर का संचालन किया जा रहा है।
2. यह कि, आपके द्वारा स्टोन केशर में डस्ट/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नहीं की गई है एवं पर्यावरण को सतत क्षति पहुँचाई जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के पालनार्थ फ्यूजीटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु परिसर के चारों तरफ लगभग 12 से 15 फीट ऊँची विण्ड ब्रेकिंग बाउन्ड्रीवाल की स्थापना किया जाना आवश्यक है, किन्तु आपके द्वारा पर्याप्त ऊँचाई की विंड ब्रेकिंग वाउण्ड्री वॉल/विंड ब्रेकिंग बेरियर निर्मित नहीं की गई है, इस प्रकार आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।
3. यह कि, आपके द्वारा जीरो डस्ट एवं महीन डस्ट का परिवहन करने वाले कन्वेयर बेल्ट के ड्रॉप-डाऊन बिन्दुओं को कवर्ड नहीं किया गया है, न ही कन्वेयर बेल्ट पर डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था की है।
4. यह कि, आपके स्टोन केशर में फ्यूजीटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जीरो डस्ट एवं 04-06 गिट्टी कनवेयर वेल्ड में नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था संचालित नहीं की जा रही है।
5. यह कि, स्टोन केशर में सघन वृक्षारोपण कर हरित पट्टिका विकसित किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए आपके द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गये हैं।
6. यह कि कार्यालय के संदर्भित पत्र के द्वारा आपको प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का पालन करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे, किन्तु आपके द्वारा किसी भी प्रकार की समाधानकारक कार्यवाही नहीं की गई है एवं अवैधानिक रूप से स्टोन केशर का सतत संचालन किया जा रहा है।
7. यह कि आपके द्वारा माननीय एन.जी.टी के दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

75



क्षेत्रीय कार्यालय

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बाई पास चौक, गोयतरा, बुद्धर रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)

Tel./Fax (07692) 248993 / E mail : ropebshahadol@gmail.com



8. यह कि, आपके स्टोन केशर के संचालन प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने के कारण इस कार्यालय को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 "क" के प्रावधानानुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बोर्ड द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिया जाना प्रस्तावित है:-

1. आपके द्वारा तत्काल प्रभाव से स्टोन केशर का संचालन बंद किया जाएगा।
2. संबंधित विभागों द्वारा आपको प्रदाय की जा रही जल आपूर्ति, बिजली सप्लाई एवं अन्य सुविधाएँ जैसे भण्डारण एवं केप्टिव खदान को पिटपास जारी करना तत्काल प्रभाव से बंद की जाएगी।

आप निम्नानुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही पुनः उत्पादन जारी कर सकेंगे:-

(अ) वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रत्येक प्रदूषणकारी बिंदु पर सक्षम एवं प्रभावी व्यवस्था स्थापित करेंगे। स्टोन केशर के सभी दिशाओं में विंड ब्रेकिंग बाउण्ड्री वॉल/बेरियर की ऊँचाई पर्याप्त अर्थात् लगभग 12 फीट से 15 फीट की जाएगी।

(ब) केशिंग सेक्शन में तथा जीरो इस्ट कनवेयर वेल्ड में नियमित वाटर स्प्रेइंग की व्यवस्था संचालित रखी जायेगी।

(स) स्टोन केशर के स्थापना/संचालन हेतु इस कार्यालय से जल एवं वायु अधिनियमों के तहत विधिवत सम्मति प्राप्त की जाएगी।

उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों पर कार्यवाही किये जाने के पूर्व सुनवाई का एक मौका प्रदान किया जाता है। यदि आप इच्छुक हों तो इस पत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में अपना पक्ष या आपत्ति मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में आपका प्रति उत्तर प्राप्त नहीं होने पर यह माना जाएगा कि आपको उपरोक्त संबंध में कुछ भी नहीं कहना है एवं तदुपरांत बिना किसी अन्य सूचना के नोटिस में उल्लेखित निर्देशों के तहत उपरोक्त कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

पत्र की प्राप्ति से अभिस्वीकृत करायें।

१८

(संजीव मेहरा)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ.क. २७१ /क्षेका/प्रनिबो/2023
प्रतिलिपि :-

शहडोल, दिनांक ०१/०५/२०२३

1. माननीय कलेक्टर महोदया, कलेक्टर कार्यालय, जिला-शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. डिविजनल इंजीनियर (संभागीय अभियंता), म.प्र. पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जिला-शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला खनि. अधिकारी, जिला खनिज कार्यालय, जिला-शहडोल (म.प्र.) की ओर अवैधानिक रूप से बिना संचालन सम्मति प्राप्त किये संचालित स्टोन केशर से संबंधित केप्टिव खदान को बंद किया जाना एवं संबंधित स्टोन केशर्स को भण्डारण अनुज्ञापति जारी नहीं किया जाना तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है। सूचनार्थ प्रेषित।

१८

(संजीव मेहरा)
क्षेत्रीय अधिकारी

(79)



क्षेत्रीय कार्यालय

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बाई पास चौक, गोरतरा, बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)

Tel./Fax (07652) 246938 / E mail: ropebshahadol@gmail.com



क्रमांक २७२ /क्षेका/प्रनिबो/शहडोल/2023

शहडोल, दिनांक 1/5/2023

प्रति,

मेसर्स स्कॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. (स्टोन माइंस),
डायरेक्टर श्री शिव कुमार बसल,
ग्राम-भमरहा-2, तहसील-ब्यौहारी,
जिला-शहडोल (म.प्र.)

विषय:-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31"क" के तहत नोटिस।

संदर्भ:-इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 225 दिनांक दिनांक 27.04.2023

---000---

2. यह कि, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 4 के तहत म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है एवं बोर्ड के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के दायित्वों का भी निर्वहन किया जा रहा है।
3. यह कि, मेसर्स स्कॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. स्टोन माइंस, डायरेक्टर श्री शिव कुमार बसल, खसरा क्रमांक 775 एवं 777/2 तथा 779/2 रकवा 2.943, ग्राम-भमरहा-2, तहसील-ब्यौहारी, जिला-शहडोल (म.प्र.) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों की सतत अवहेलना करते हुए संचालित किया जा रहा है। स्टोन माइंस द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत स्थापना सम्मति तथा संचालन सम्मति प्राप्त किया जाना आवश्यक था, जोकि नहीं किया गया है। आपके द्वारा अवैधानिक रूप से खदान का संचालन कर ब्लास्टिंग की जा रही है।
4. यह कि, आपके द्वारा स्टोन माइंस परिसर के चारो ओर तार/मेश फेंसिंग का कार्य किया जाना आवश्यक है। किन्तु आपके द्वारा माइंस परिसर में तार/मेश फेंसिंग नहीं की गई है, इस प्रकार आपके द्वारा माननीय एन.जी.टी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
5. यह कि, आपके स्टोन माइंस परिसर में फ्यूजीटिव इस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था संचालित नहीं की जा रही है।
6. यह कि, स्टोन माइंस में सघन वृक्षारोपण कर हरित पट्टिका विकसित किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए आपके द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।
7. यह कि कार्यालय के संदर्भित पत्र के द्वारा आपको प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का पालन करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गए थे, किन्तु आपके द्वारा किसी भी प्रकार की समाधानकारक कार्यवाही नहीं की गई है एवं अवैधानिक रूप से स्टोन माइंस का सतत संचालन किया जा रहा है।
8. यह कि, आपके स्टोन माइंस के संचालन से निरंतर इस कार्यालय को शिकायत प्राप्त हो रही है।
9. यह कि, आपके स्टोन माइंस के संचालन से प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था न होने के कारण इस कार्यालय को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं।



क्षेत्रीय कार्यालय

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बाई पास चौक, गोस्तरा, बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)

Tel./Fax [07652] 249038 / E mail : ropebshahadol@gmail.com



उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 "क" के प्रावधानानुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बोर्ड द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिया जाना प्रस्तावित है:-

1. आपके द्वारा तत्काल प्रभाव से स्टोन माइंस का संचालन बंद किया जाएगा ।
2. संबंधित विभागों द्वारा आपको प्रदाय की जा रही जल आपूर्ति, बिजली सप्लाई एवं अन्य सुविधाएँ जैसे उत्खनन हेतु पिटपास जारी करना संबंधित केशर को भण्डारण अनुज्ञप्ति प्रदान करना तत्काल प्रभाव से बंद की जाएगी।
आप निम्नानुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त ही पुनः उत्पादन जारी कर सकेगे:-

(अ) वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रत्येक प्रदूषणकारी बिन्दु पर सक्षम एवं प्रभावी व्यवस्था स्थापित करेंगे।

(ब) स्टोन माइंस परिसर में वाटर स्प्रेइंग की व्यवस्था संचालित रखी जायेगी।

(स) स्टोन माइंस के स्थापना/संचालन हेतु इस कार्यालय से जल एवं वायु अधिनियमों के तहत विधिवत सम्मति प्राप्त की जाएगी।

उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों पर कार्यवाही किये जाने के पूर्व सुनवाई का एक मौका प्रदान किया जाता है। यदि आप इच्छुक हों तो इस पत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में अपना पक्ष या आपत्ति मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समयावधि में आपका प्रति उत्तर प्राप्त नहीं होने पर यह माना जाएगा कि आपको उपरोक्त संबंध में कुछ भी नहीं कहना है एवं तदुपरांत बिना किसी अन्य सूचना के नोटिस में उल्लेखित निर्देशों के तहत उपरोक्त कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।
पत्र की प्राप्ति से अभिस्वीकृत करायें।

9c

(संजीव मेहरा)

क्षेत्रीय अधिकारी

शहडोल, दिनांक 1/5/23

पृ.क. 273 /क्षेका/प्रनिबो/2023

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कलेक्टर महोदया, कलेक्टर कार्यालय, जिला-शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. डिचिजनल इंजीनियर (संभागीय अभियंता), म.प्र. पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जिला-शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला खनि. अधिकारी, जिला खनिज कार्यालय, जिला-शहडोल (म.प्र.) की ओर अवैधानिक रूप से बिना संचालन सम्मति प्राप्त किये संचालित स्टोन माइंस को बंद किया जाना एवं संबंधित स्टोन केशर्स को भण्डारण अनुमति जारी नहीं किया गया जाना तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है। सूचनार्थ प्रेषित।

9c

(संजीव मेहरा)

क्षेत्रीय अधिकारी

(81)



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बाई पास चौक गोस्तरा बुद्धर रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)
E mail:ropcbshahadol@gmail.com



क्रमांक: 451 / क्षेत्रा / प्रनिबो / 2023
प्रति,

शहडोल दिनांक: 18/05/2023

मेसर्स स्कॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. स्टोन केशर,
डायरेक्टर: श्री शिव कुमार बंसल,
ग्राम-भमरहा-2, तहसील-ब्यौहारी,
जिला-शहडोल (म.प्र.)

विषय:-- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत बंद करने के निर्देश (क्लोजर ऑर्डर)

- संदर्भ:--
1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 225 दिनांक 27.04.2023
 2. इस कार्यालय द्वारा आपके स्टोन केशर को जारी किया गया क्लोजर नोटिस पत्र क्रमांक 270 दिनांक 01.05.2023
 3. इस कार्यालय को आपके स्टोन केशर के संबंध में आमजन से प्राप्त हो रही शिकायतें।

यह कि, आपके द्वारा संचालित स्टोन केशर, खसरा क्रमांक 800/1/1/1, एवं 800/1/1/2, रकवा 1.214 हेक्टेयर ग्राम-भमरहा-2, तहसील-ब्यौहारी, जिला-शहडोल (म.प्र.) में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 26 के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए बिना संचालन सम्मति प्राप्त किए अवैध रूप से सतत संचालित किया जा रहा है। आपके स्टोन केशर को इस कार्यालय के द्वारा धारा 31 'क' के तहत जारी संदर्भित क्लोजर नोटिस के संबंध में आपके द्वारा आज तिथि तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के प्रावधानानुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार निर्देश दिए जा रहें हैं:--

1. आपके द्वारा स्टोन केशर का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए।
 2. संबंधित विभागों द्वारा आपके स्टोन केशर को प्राप्त जल आपूर्ति एवं बिजली सप्लाई तथा अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से बंद की जाए।
- आप निम्नानुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत ही पुनः उत्पादन प्रारंभ करेंगे:--

1. प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के तहत विधिवत संचालन सम्मति हेतु सशुल्क आवेदन प्रस्तुत कर विधिवत संचालन सम्मति प्राप्त की जावेगी।
2. आपके द्वारा स्टोन केशर के चारों ओर डस्ट/वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु लगभग 12 से 15 फीट ऊँचाई की विण्ड ब्रेकिंगवाल/वाउण्ड्रीवाल का निर्माण किया जावेगा।



क्षेत्रीय कार्यालय

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बाई पास चौक गोरतरा बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)

E mail:ropcbshahadol@gmail.com



88

3. स्टोन केशर में जीरो डस्ट एवं महीन डस्ट का परिवहन करने वाले कन्वेयर बेल्ट के ड्राप डाउन बिन्दुओं को कवर्ड किया जावेगा।
4. स्टोन केशर में फ्यूजीटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जीरो डस्ट एवं 04 से 06 गिट्टी कन्वेयर बेल्ट में नियमित रूप से जल छिड़काव की व्यवस्था की जावेगी।
5. स्टोन केशर परिसर के चारों ओर सघन वृक्षारोपण कर हरित पट्टिका विकसित किया जावेगा।

यदि उद्योग/स्टोन केशर प्रबंधन या संबंधित व्यक्ति द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना की जाती है, तो उद्योग/स्टोन केशर प्रबंधक (स्टोन केशर संचालन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति)/संबंधित के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39 के तहत न्यायालयीन कार्यवाही भी की जा सकती है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

// पत्र की प्राप्ति से अभीस्वीकृत कराएँ //

संजीव मेहरा
(क्षेत्रीय अधिकारी)

पृ. क्रमांक: 452 /क्षेका/प्रनिबो/2023

शहडोल दिनांक: 19/05/2023

प्रतिलिपि:-

1. माननीय कलेक्टर महोदया, कार्यालय कलेक्टर, जिला-शहडोल (म.प्र.) की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग ब्यौहारी, जिला-शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ कृपया प्रेषित।
3. डिवीजनल इंजीनियर (संभागीय अभियंता), म.प्र. पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जिला-शहडोल (म.प्र.) की ओर उक्त स्टोन केशर का विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर शीघ्रातशीघ्र इस कार्यालय को अवगत करायें।
4. जिला खनिज अधिकारी, जिला खनिज कार्यालय, जिला-शहडोल (म.प्र.) की ओर उक्त स्टोन केशर से संबंधित खदान की तत्काल प्रभाव से टी.पी. बंद करने हेतु प्रेषित।

संजीव मेहरा
(क्षेत्रीय अधिकारी)

83



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बाई पास चौक गोरतरा बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)
E mail: ropcbshahadol@gmail.com



कमांक: ५१५२ /क्षेका/प्रनिबो/2023
प्रति,

शहडोल दिनांक: १६/05/2023

मेसर्स स्कॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. स्टोन माइन,
डायरेक्टर: श्री शिव कुमार बंसल,
ग्राम-भमरहा-2, तहसील-ब्यौहारी,
जिला-शहडोल (म.प्र.)

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क'
के तहत बंद करने के निर्देश (क्लोजर ऑर्डर)

- संदर्भ:-
1. इस कार्यालय का पत्र कमांक 225 दिनांक 27.04.2023
 2. इस कार्यालय द्वारा आपके माइन को जारी किया गया क्लोजर नोटिस पत्र कमांक 272 दिनांक 01.05.2023
 3. इस कार्यालय को आपके स्टोन माइन के संबंध में आमजन से प्राप्त हो रही शिकायतें।


यह कि, आप के द्वारा संचालित स्टोन माइन खसरा कमांक 775, 777/2 एवं 779/2, रकवा 2.943 हेक्टेयर ग्राम-भमरहा-2, तहसील-ब्यौहारी, जिला-शहडोल (म.प्र.) में वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 26 के प्रावधानों की अवहेलना करते हुए बिना संचालन सम्मति प्राप्त किए अवैध रूप से सतत संचालित की जा रही है। आपके स्टोन माइन को इस कार्यालय के द्वारा धारा 31 'क' के तहत जारी संदर्भित क्लोजर नोटिस के संबंध में आपके द्वारा आज तिथि तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के प्रावधानानुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार निर्देश दिए जा रहें हैं:-

1. आपके द्वारा स्टोन माइन का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए।
2. संबंधित विभागों द्वारा स्टोन माइन को प्राप्त जल आपूर्ति एवं बिजली सप्लाई तथा अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से बंद की जाए।

आप निम्नानुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत ही पुनः उत्पादन प्रारंभ करेंगे:-

1. प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के तहत विधिवत संचालन सम्मति हेतु सशुल्क आवेदन प्रस्तुत कर विधिवत संचालन सम्मति प्राप्त की जावेगी।
2. स्टोन माइन के प्रत्येक प्रदूषणकारी बिन्दु पर सक्षम एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कर सदैव संचालित की जावेगी।



क्षेत्रीय कार्यालय

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बाई पास चौक गोरतरा बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)

E mail: ropcbsahadol@gmail.com



86

3. आपके द्वारा स्टोन माइन परिसर के चारों ओर तार/मेश फेन्सिंग कराई जावेगी।

यदि उद्योग/माइन प्रबंधन या संबंधित व्यक्ति द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना की जाती है, तो उद्योग/माइन प्रबंधक (माइन संचालन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति)/संबंधित के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं 39 के तहत न्यायालयीन कार्यवाही भी की जा सकती है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

// पत्र की प्राप्ति से अभीस्वीकृत कराएँ //

संजीव मेहरा

(क्षेत्रीय अधिकारी)

पृ. क्रमांक: 454 /क्षेका/प्रनिबो/2023

शहडोल दिनांक: 19/05/2023

प्रतिलिपि:-

1. माननीय कलेक्टर महोदया, कार्यालय कलेक्टर, जिला-शहडोल (म.प्र.) की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग ब्यौहारी, जिला-शहडोल (म.प्र.) की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. डिवीजनल इंजीनियर (संभागीय अभियंता), म.प्र. पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जिला-शहडोल (म.प्र.) की ओर उक्त स्टोन माइन का विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर शीघ्रातशीघ्र इस कार्यालय को अवगत करायें।
4. जिला खनि अधिकारी, जिला खनिज कार्यालय, जिला-शहडोल (म.प्र.) की ओर उक्त स्टोन माइन की टी.पी. बंद करने हेतु प्रेषित।

संजीव मेहरा

(क्षेत्रीय अधिकारी)

85



क्षेत्रीय कार्यालय

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बाई पास चौक, गोरतरा, बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)
Tel: Fax: 07652) 248938 E mail: ropcbshahdol@gmail.com

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

क्रमांक 469 /क्षेका/प्रनिबो/शहडोल/2023

शहडोल, दिनांक 19/05/2023

प्रति,

सदस्य सचिव

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, अरेरा कॉलोनी,
ई-5, भोपाल (म.प्र.) 462016

विषय:- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के उल्लंघन करने के संबंध में पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने बाबत।

- संदर्भ:-
1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 225-ए दिनांक 27.04.2023
 2. इस कार्यालय का क्लोजर नोटिस पत्र क्रमांक 272 दिनांक 01.05.2023
 3. इस कार्यालय का क्लोजर आर्डर पत्र क्रमांक 453 दिनांक 18.05.2023

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मेसर्स स्कॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड स्टोन माइंस, ग्राम-भगरहा-2, तहसील-ब्यौहारी, जिला-शहडोल (म.प्र.) में विगत लगभग 04 माह से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अंतर्गत प्रत्येक उद्योग/माइंस को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से उत्पादन सम्मति प्राप्त करना एवं सम्मति में उल्लेखित शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है, किन्तु स्टोन खदान प्रबंधन द्वारा बोर्ड की बगैर उत्पादन सम्मति प्राप्त किये स्टोन माइंस का संचालन कर पर्यावरण को क्षति पहुँचाई जा रही है, जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है।

अतः उपरोक्तानुसार जल/ वायु अधिनियमों के उल्लंघन हेतु उक्त स्टोन माइंस पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु प्रस्ताव संलग्न कर अनुशंसा सहित अग्र कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(सजीव मेहरा)

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

82 जिला-शहडोल (म.प्र.)

86



क्षेत्रीय कार्यालय

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

बाई पास चौक, गोखरा, बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)

Tel./Fax (07652) 248938 E mail : ropeshahdol@gmail.com

ENVIRONMENTAL COMPENSATION ON STONE MINE

84
आजादीक
अमृत महोत्सव

Name of Siding:- M/s Scons Infrastructure Pvt. Ltd. Stone Mine, (Prop. Mr. Shiv Kumar Bansal),
Khasra No. 777/2, 779/2 and 775 Total Area 2.943 Ha. Bhamraha-2 Village,
Beohari Tehsil of Shahdol District (M.P).

Violations Observed:-

M/s Scons Infrastructure Pvt. Ltd., (Prop. Mr. Shiv Kumar Bansal), has obtained Theoretical Permission from Collector Office (Mining Section), Shahdol vide order dated 06.01.2023 for mining of stone at Khasra No. 777/2, 779/2 and 775 Total Area 2.943 Ha. Bhamraha-2 village, Beohari Tehsil of Shahdol District (M.P), for use in construction of Rewa-Beohari-Tetkamod and baghwar canal bridge road. Project Proponent has not obtained consent from M.P Pollution Control Board and has started the mining activity. M.P Pollution Control Board, Regional Office Shahdol has issued letter to M/s Scons Infrastructure Pvt. Ltd. for obtaining consent for mining and crushing activity under Water (Prevention & Control of Pollution) Act 1974 and Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 on dated 27.04.2023. Later MPPCB, Shahdol also issued Notice U/s 31 'A' of Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981 on dated 01.05.2023. Management has recently obtained EC from SEIAA, Bhopal vide ID No. EC23B001MP140093 dated 06.04.2023.

Calculation of Environmental Compensation

Formula = $PI \times N \times S \times R \times LF$ where: - PI – Pollution Index of Industrial Sector
N – Number of days of violation took place
S – Factor for Scale of Operation
R – A factor in Rupee for EC
LF – Location Factor

In case of above mine: - Scale = Small & Sector = Red, therefore:-

$$PI = 80$$

$$N = 22 \text{ days (from 27.04.2023 to 18.05.2023)}$$

$$S = 0.5$$

$$R = 250 \text{ Rs.}$$

$$LF = 1$$

$$EC = 80 \times 22 \times 0.5 \times 250 \times 1$$

$$= \text{Rs. } 2,20,000.00$$

Total Amount of EC = Rs. 2,20,000.00 (Two Lakhs Twenty Thousand Rupees Only)

Note: - Above EC is calculated on the basis of CPCB guideline/methodology, copy of which is enclosed.

87

83



क्षेत्रीय कार्यालय

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

बाई पास चौक, गोखरा, बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)

Tel./Fax (07652) 248938 E mail : ropcbshahdol@gmail.com

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

Remarks:-

- In light of Various Order of Hon'ble NGT MPPCB, Head Office has issued instructions to Regional Officer's to submit proposal for Environmental Compensation in case of pollution issues.
- In view of public interest and safeguard of environment, this proposal is prepared and recommended, so that the management shall take necessary and effective steps for taking necessary steps in compliance of Air/Water Acts and installation of pollution control arrangements.
- Fencing is also not seen around periphery of Mine Boundary.
- Mine Management has not applied for CTO

Reference of letter:-

- This office letter no. 225 A dated 27/04/2023 issued to mine management.
- Notice U/s 31 A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 dated 01/05/2023
- Clouser Order U/s 31 A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 dated 18/05/2023

Copy Enclosed.

B.M. Patel
Jr. Scientist
MPPCB, Shahdol

S.K. Mehra
Regional Officer
MPPCB, Shahdol

88



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बाई पास चौक गोरतरा बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)
E mail: ropcbshahadol@gmail.com

क्रमांक 459 /क्षेका/प्रनिबो/शहडोल/2023
प्रति,

शहडोल, दिनांक 13/5/23

जिला खनि अधिकारी,
जिला खनिज कार्यालय,
जिला कार्यालय, शहडोल (म.प्र.) 484001

विषय: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष मेसर्स स्कॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. के द्वारा किये जा रहे अवैधानिक खनन के संबंध में पंजीबद्ध हुए प्रकरण बावत्।

संदर्भ: माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जोनल बेंच भोपाल के समक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह गोंड के द्वारा पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक 31/2023 दिनांक 28.04.2023

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जोनल बेंच भोपाल के समक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह गोंड की याचिका के आधार पर प्रकरण क्रमांक 31/2023 दिनांक 28.04.2023 को पंजीबद्ध हुआ है। याचिका के अनुसार मेसर्स स्कॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. के द्वारा शहडोल जिले की ब्यौहारी तहसील के राजस्व वृत्त खांड के अंतर्गत ग्राम-भमरहा में खसरा क्रमांक 777/2 एवं 779/2 तथा 775 के द्वारा लगभग 3 हेक्टेयर एरिया में अवैधानिक रूप से माइनिंग की जा रही है, जबकि इस खदान के द्वारा केन्द्रीय शासन के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचित किये गये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25, 26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के तहत म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आज तिथि तक स्थापना सम्मति (Consent to Establishment) एवं संचालन सम्मति (Consent to Operate) प्राप्त नहीं की गई है। उक्त अवैधानिक कार्य के परिप्रेक्ष्य में निम्न तथ्य उल्लेखनीय है :-

1. इस कार्यालय को मेसर्स स्कॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. से दिनांक 10.05.2023 तक स्थापना सम्मति (Consent to Establishment) हेतु विधिवत ऑनलाईन आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था।
2. श्री अजय दुबे के द्वारा दायर की गई याचिका का माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के द्वारा निराकरण कर वर्ष 2007-2008 के दौरान यह निर्देश दिये गये थे कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से उत्खनन हेतु संचालन सम्मति (Consent to Operate) प्राप्त होने के उपरांत ही खदानों को संबंधित जिला खनि अधिकारी द्वारा पिट पास जारी किया जायेगा।
3. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना सम्मति (Consent to Establishment) संचालन सम्मति (Consent to Operate) प्राप्त किये बिना मेसर्स स्कॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.



क्षेत्रीय कार्यालय



LIFE
Lifestyle For
Environment

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बाई पास चौक गोरतरा बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)

E mail:ropcbshahadol@gmail.com

- के द्वारा ग्राम- भमरहा में किये जा रहे खनन के कार्यों के कारण कृषि भूमि एवं जल स्रोतों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का याचिकाकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया है।
4. कार्यालय कलेक्टर शहडोल द्वारा 07/01/2023 को मेसर्स स्कॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. को जारी की गई सैद्धांतिक सहमति आदेश में यह शर्त अधिरोपित की गई थी कि खननकर्ता तीन माह की अवधि में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना सम्मति (Consent to Establishment) एवं संचालन सम्मति (Consent to Operate) प्राप्त कर सूचित करेगा, किन्तु इसका अनुपालन मेसर्स स्कॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा नहीं किया गया है।

अतः केन्द्रीय अधिनियमों के परिपालनार्थ एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये निर्णयों के परिपालनार्थ तथा माननीय एन.जी.टी. में पंजीबद्ध होने वाली याचिकाओं के दृष्टिगत यह उपयुक्त प्रतीत होता है कि म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से खनन हेतु संचालन सम्मति (Consent to Operate) जारी होने के उपरांत ही खदान प्रबंधकों को इलेक्ट्रॉनिक पिट पास जारी किया जाये, जिससे कि उद्भूत होने वाली याचिकाओं में शासन का पक्ष मजबूती से रखा जा सके।

संजीव मेहरा
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ.क्रमांक 468/क्षेका/प्रनिबो/शहडोल/2023 शहडोल,दिनांक 19/5/23

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय कलेक्टर महोदया, जिला कलेक्टर कार्यालय, जयस्तंभ चौक, शहडोल (म.प्र.) की ओर माननीय एन.जी.टी. के समक्ष मेसर्स स्कॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. के अवैध खनन कार्यों के बावत् पंजीबद्ध प्रकरण के संबंध में सूचनार्थ प्रेषित।

संजीव मेहरा
क्षेत्रीय अधिकारी

90